



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082023-247994  
CG-DL-E-10082023-247994

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467]  
No. 467]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त, 9, 2023/श्रावण 18, 1945  
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST, 9, 2023/SHRAVANA 18, 1945

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 596(अ).—वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2022 का प्रारूप भारत के राजपत्र भाग-II खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और, शिकागो में तारीख 7 दिसंबर, 1944 को हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित अभिसमय के आलोक में प्रस्तावित नियम जारी किए जाने हैं;

और उक्त अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 10 नवंबर, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर जनता के आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के साथ पठित धारा 4, धारा 5, धारा 10 की उप-धारा (2), धारा 10क, धारा 10ख, 12, धारा 12क और धारा 12ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वायुयान (सुरक्षा) नियम 2011 की, उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) “साथ में सामान” से वह सामान अभिप्रेत है जो वायुयान के नियंत्रण में वहन के लिए स्वीकृत किया गया है और जिसकी जांच उन यात्रियों द्वारा की गई है जो सवार हैं। (जिसे इसमें इसके पश्चात “धारित सामान” कहा गया है)

(ख) “अधिनियम” से वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) अभिप्रेत है;

(ग) “विधि विरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्य” नागर विमानन की सुरक्षा को संकट में डालने वाला कृत्य अथवा प्रयास अभिप्रेत है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये अंतिम नहीं हैं :-

- (i) वायुयान का विधि विरुद्ध अभिग्रहण ;
- (ii) किसी वायुयान में उड़ान के दौरान तोड़फोड़ करना ;
- (iii) वायुयान को उड़ान के दौरान अथवा विमानपत्तन पर बंधक बनाया जाना ;
- (iv) किसी वायुयान में उड़ान के दौरान किसी हवाईअड्डे पर अथवा किसी वैमानिकी सुविधा परिसर में बलपूर्वक घुसपैठ करना ;
- (v) किसी वायुयान में उड़ान के दौरान अथवा किसी हवाईअड्डे पर कोई हथियार अथवा खतरनाक यंत्र अथवा आपराधिक प्रयोजनार्थ आशयित सामग्री ले जाना;
- (vi) मृत्यु, गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने अथवा सम्पत्ति अथवा पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से उड़ान कार्य कर रहे विमान का उपयोग, तथा ;
- (vii) उड़ान के दौरान अथवा भूमि पर किसी वायुयान की, किसी विमानपत्तन पर अथवा किसी नागर विमानन सुविधा परिसर पर यात्रियों, कर्मियों, भू-कार्मिक अथवा आम जनता की सुरक्षा को संकट में डालने के उद्देश्य से झूठी सूचना का संप्रेषण।

(घ) “हवाईअड्डा प्रवेश परमिट” से केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत महानिदेशक अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जारी पहचान-पत्र अभिप्रेत है और जिसका प्रयोग हवाईअड्डा अथवा हवाईअड्डा के किसी भाग में प्रवेश हेतु किया जाता है;

(ङ.) “हवाईअड्डा प्रचालक” से किसी हवाईअड्डे के प्रचालन तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, संगठन अथवा उद्यम अभिप्रेत है;

(च) “वायुयान प्रचालक” से वायुयान प्रचालन में संलिप्त अथवा संलिप्त होने के लिए प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति, संगठन अथवा उद्यम अभिप्रेत है;

(छ) “एयरसाइड” से किसी विमानपत्तन का आवागमन क्षेत्र, संलग्न भू-भाग और भवन या उसका कोई भाग जिसमें प्रवेश नियंत्रित किया गया हो, अभिप्रेत है ;

(ज) उपाबद्ध 17” से समय-समय पर यथासंशोधित तारीख 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संबंधी कन्वेंशन के लिए उपाबद्ध 17 अभिप्रेत है;

(झ) “विमानन सुरक्षा” से विधिविरुद्ध हस्तक्षेप की कार्रवाइयों के विरुद्ध, नागर विमानन रक्षोपाय के लिए उपयोग किए जाने हेतु आशयित उपायों, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का संयोजन, अभिप्रेत है ;

(ञ) “विमानन सुरक्षा समूह” से किसी विशेषज्ञता प्राप्त सरकारी एजेंसी की कोई इकाई अभिप्रेत है, जिसे महानिदेशक द्वारा विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा तथा नागर विमानन को संभालने वाले विमानपत्तन पर संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्राधिकृत किया गया है;

- (ट) "पृष्ठभूमि जांच" से सुरक्षा नियंत्रण लागू करने अथवा विमानपत्तन में किसी रक्षण के बिना पहुंच की उपयुक्तता के मूल्यांकन के भाग के रूप में किसी व्यक्ति के आपराधिक इतिहास एवं अन्य सुसंगत सूचना सहित किसी व्यक्ति की पहचान एवं पूर्वानुभव की जांच करना, अभिप्रेत है;
- (ठ) "व्यवसाय स्थापना" से किसी विमानपत्तन पर विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित ऐसी इकाईयां अभिप्रेत हैं, जो वित्तीय विवरणी के लिए व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने या कोई सेवा या दोनों प्रदान करने में कार्यरत हैं;
- (ड) "यात्री समान केबिन" से किसी वायुयान के केबिन में वहन के लिए आशयित कोई सामान अभिप्रेत है;
- (ढ) "कार्गो" से वायुयान द्वारा वहन किया जा रहा डाक, भंडार अथवा साथ का अथवा गलत ढंग से लिया गया यात्री सामान है अभिप्रेत है;
- (ण) "खान-पान भंडार" से यात्री उड़ानगत सेवाओं से सम्बद्ध खानपान आपूर्तियों से भिन्न अन्य सभी मदें अभिप्रेत हैं जैसे समाचारपत्र, पत्रिकाएं, हैडफोन, ऑडियो एवं वीडियो स्टोरेज डिवाइसेस, तकिए एवं कंबल, तथा सुविधा किटें;
- (त) "खान-पान आपूर्ति" से किसी विमान में उपयोग किए जाने वाले शुष्क भंडार और सम्बद्ध उपकरण से भिन्न खानपान, पेय पदार्थ है अभिप्रेत है;
- (थ) "प्रमाणन" से महानिदेशक द्वारा अथवा उनकी ओर से विमानन सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति के पास महानिदेशक द्वारा आधारित स्वीकार्य स्तर के अनुसार सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने की आवश्यक क्षमताएं होने का औपचारिक मूल्यांकन एवं पुष्टि करना है अभिप्रेत है;
- (द) "अभिसमय" से 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित अभिसमय अभिप्रेत है ;
- (ध) "महानिदेशक" से अधिनियम की धारा 4ख के अधीन नियुक्त, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक अभिप्रेत है, जो उपाबद्ध 17 की अपेक्षाओं के लिए समुचित प्राधिकारी भी है ;
- (न) "इकाई" से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या कोई कंपनी अभिप्रेत है इसके अंतर्गत हवाईअड्डा प्रचालक, वायुयान प्रचालक, स्थल संचलन एजेंसी, विनियमित एजेंट, ईंधन फार्म, अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल खान-पान स्थापन कारबार स्थापन केन्द्रीय सरकार अथवा उसकी ओर से, समय समय पर, इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्मिलित किया जा सके शामिल है किंतु इन्ही तक सीमित नहीं है और हवाई अड्डे या नागर विमानन सुविधा के परिसरों पर कोई सेवा, सुविधा, कोई वाणिज्यिक या वित्तीय क्रियाकलाप या कोई अन्य विधिक संव्यवहार जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यवसाय स्थल है;
- (प) "एक्सप्रेस कार्गो" से डाक से भिन्न तथा यात्रियों अथवा कर्मियों से स्वैच्छिक रूप से अथवा अनजाने में प्रथक हो गई अथवा साथ की वस्तुएं जिन्हें किसी वायुयान प्रचालक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लाया, ले जाया जाना अपेक्षित होता है अभिप्रेत है;
- (फ) "ईंधन फार्म" से वह एजेंसी अथवा कम्पनी अभिप्रेत है जो हवाईअड्डे पर वायुयान प्रचालक के लिए विमानन टर्बाइन ईंधन का भंडारण एवं आपूर्ति करती है;
- (ब) "स्थल हैंडलिंग एजेंसी" से किसी हवाईअड्डे पर स्थल हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित वह इकाई अभिप्रेत है जिसकी सुरक्षा क्लीयरेंस महानिदेशक द्वारा की गई है;
- (ब) "उच्च जोखिम वाले कार्गो या मेल" से किसी अज्ञात इकाई द्वारा प्रस्तुत या छेड़छाड़ के संकेत दिखाने वाले कार्गो या मेल अभिप्रेत है, जिसको उच्च जोखिम माना जाएगा, यदि इसके अतिरिक्त, यह निम्नलिखित मानदंडों में से एक को पूरा करता है, अर्थात्: -
- (क) विशिष्ट आसूचना इंगित करता है कि कार्गो या मेल नागर विमानन के लिए खतरा है;
- (ख) कार्गो या मेल विसंगतियों को दर्शाता है जो संदेह को जन्म देता है; या
- (ग) कार्गो या मेल की प्रकृति ऐसी है कि आधारभूत सुरक्षा उपायों से विमान को खतरे में डालने वाली प्रतिबंधित वस्तुओं का पता न लगाया जा सके;
- (म) "उड़ान में सुरक्षा अधिकारी" से विधि विरुद्ध हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरुद्ध वायुयान में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा वायुयान में तैनात सुरक्षा कार्मिक अभिप्रेत है;

(य) “ज्ञात परेषक” से वह परेषक अभिप्रेत है जो स्वयं अपने कारक से किसी कार्गो अथवा मेल का प्रेषण करता है तथा जिसकी प्रक्रियाएं एवं स्थापना महानिदेशक द्वारा किसी विमान से ऐसे कार्गो अथवा मेल के वहन के लिए अनुमोदित हैं;

(यक) “मेल” से डाक सेवा के प्रचालन के लिए अभिहित डाक प्रचालकों को परिदान के लिए आशयित पत्रव्यवहार तथा अन्य वस्तुओं का प्रेषण अभिप्रेत है;

(यख) “आवागमन क्षेत्र” से किसी विमान क्षेत्र का वह भाग अभिप्रेत है जिसका उपयोग विमान के टेक-ऑफ, लैंडिंग और टैक्सींग के लिए किया जाता है और इसमें समायोजन क्षेत्र और एप्रन भी शामिल हैं;

(यग) “राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम” से विधि विरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों से नागर विमानन के प्रचालनों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अभिसमय के किसी भी उपाबंध को प्रभावी बनाने के निमित्त वह लिखित कार्यक्रम अभिप्रेत है जिसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई है;

(यघ) “व्यक्ति” में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, कोई फर्म, व्यक्तियों के संगम, व्यक्तियों के निकाय, या अन्य कोई विधिक इकाई शामिल है, जो चाहे निगमित है या नहीं और कोई स्थानीय प्राधिकारी शामिल है।

(यङ) “प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण” से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005, (2005 का 29) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण अभिप्रेत है और जिसका सुरक्षा निर्वाधन महानिदेशक द्वारा जारी किया गया हो;

(यच) “प्रतिषिद्ध वस्तु” से कोई ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जिसे विधि विरुद्ध हस्तक्षेप का कोई कृत्य करने के लिए प्रयोग किया जा सकता हो और जिसे उपयुक्त तरीके से घोषित न किया गया हो;

(यछ) “विनियमित अभिकर्ता” से कोई अभिकर्ता, मालभाड़ा अग्रेषक अथवा ऐसी कोई इकाई अभिप्रेत है जो किसी वायुयान प्रचालक के साथ कारबार संव्यवहार करती है तथा वह सुरक्षा नियंत्रण प्रदान करती है जिनकी विमान से कार्गो अथवा डाक के परिवहन के उद्देश्य से महानिदेशक द्वारा स्वीकृति अथवा अपेक्षा की गई है;

(यज) “नियमित कर्मचारी” से नियमित आधार पर नियुक्त, नियोजित अथवा सेवा में लिया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे नियोजक द्वारा सीधे भुगतान किया जाता है;

(यझ) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत हैं;

(यञ) “अनुसूचित विमान वाहक” से वह विमान वाहक अभिप्रेत है जिसे नागर विमानन महानिदेशालय से किसी विमान प्रचालक का प्रमाणपत्र (अनुसूचित अथवा अनुसूचित यात्री प्रचालक) प्राप्त है;

(यट) “छानबीन” से तकनीकी अथवा अन्य माध्यम का अनुप्रयोग अभिप्रेत है जो शस्त्रों, विस्फोटकों अथवा अन्य खतरनाक युक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों की पहचान अथवा पता लगाने के लिए आशयित हो, जिनका प्रयोग नागर विमानन में विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के लिए उपयोग किया जा सकेगा;

(यठ) “सुरक्षा संपरीक्षा” से राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के सभी पहलूओं की गहन अनुपालन जांच करना अभिप्रेत है;

(यड) “सुरक्षा क्लीयरेंस” से किसी व्यक्ति अथवा इकाई को पृष्ठभूमि जांच की सफल प्रक्रिया के पश्चात वर्गीकृत सूचना प्राप्त करने, प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने अथवा हवाईअड्डे अथवा नागर विमानन से सम्बद्ध किसी सुविधा क्षेत्र पर प्रचालन का पात्र होने का स्तर प्रदान करना अभिप्रेत है;

(यढ) “सुरक्षा नियंत्रण” से वह पद्धति अभिप्रेत है जिसके द्वारा आयुध, विस्फोटकों तथा अन्य खतरनाक युक्तियों, वस्तु अथवा पदार्थों, जिन्हें किसी विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्य को करने में प्रयोग किया जा सकेगा, उसे रोका जा सके;

(यण) “सुरक्षा होल्ड क्षेत्र” से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी यात्री की जांच अथवा छानबीन चैकप्वाइंट तथा बोर्डिंग गेट के बीच स्थित है, जहां पहुंच नियंत्रित है तथा अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाते हैं;

(यत) “सुरक्षा घटना” से ऐसी सुरक्षा घटना अभिप्रेत है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा गंभीर उपहति हो अथवा सम्पत्ति की बड़ी क्षति हो अथवा नागर विमान प्रचालनों में बड़ी बाधा उत्पन्न हो, अथवा हस्तक्षेप का कोई ऐसा गैरकानूनी कृत्य है जिसका सुरक्षा घटना के रूप में मूल्यांकन, महानिदेशक अथवा उनके द्वारा, उनकी ओर से, प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने वाली इकाई के सुरक्षा प्रभारी ने सुरक्षा घटना के रूप में किया हो ;

स्पष्टीकरण: - इस खंड के प्रयोजन के लिए “गंभीर उपहति” पद का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में है।

(यथ) “सुरक्षा निरीक्षण” से विनिर्दिष्ट सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को प्रभावी करने के लिए घोषित अथवा अघोषित परीक्षा अभिप्रेत है;

(यद) “सुरक्षा जांच” से नागर विमानन के प्रति किसी विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्य अथवा कृत्य के प्रयास तथा/अथवा राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम अथवा नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित अन्य विधिक तथा/अथवा विनियामक अपेक्षा की आरोपित अथवा संदेहास्पद घटना की जांच अभिप्रेत है;

(यध) “सुरक्षा घटना” से अधिनियम, अथवा इसके नियमों अथवा राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम अथवा इन नियमों के उबंधों के अधीन महानिदेशक द्वारा जारी निदेशों के प्रति किसी विधिविरुद्ध हस्तक्षेप का कृत्य अथवा इसके उबंधों का उल्लंघन अभिप्रेत है और इनमें किसी ऐसी अतिसंवेदनशीलता की पहचान अथवा प्रेक्षण भी शामिल है जिससे नागर विमानन सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता हो;

(यन) “सुरक्षा कार्यक्रम” से महानिदेशक द्वारा लिखित विनिर्दिष्ट उपाय अभिप्रेत हैं जिन्हें विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्य के विरुद्ध, नागर विमानन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी इकाई द्वारा अंगीकृत किया जाना है;

(यप) “सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र” से किसी हवाईअड्डे के एयर साइड के वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो जोखिम क्षेत्रों के रूप में संज्ञान में लिए गए हैं, जहां प्रवेश नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य सुरक्षा नियंत्रण लागू होते हैं सुरक्षा होल्ड क्षेत्र शामिल हैं किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(यफ) “भंडार (आपूर्ति)” से वह माल अभिप्रेत है जो विमान में बिक्री अथवा उपयोग के लिए आशयित है, जिसमें तत्काल फिटिंग की अपेक्षा वाले अथवा अपेक्षा न होने वाले अतिरिक्त कलपुर्जे तथा उपस्कर की अन्य सामग्री शामिल है;

(यब) “सुरक्षा परीक्षण” से विमानन सुरक्षा उपाय का प्रच्छन्न अथवा प्रकट अभ्यास अभिप्रेत है जो किसी विधिविरुद्ध कृत्य के प्रयास की नकल होता है;

(यभ) “संवेदनशील विमानन सुरक्षा सूचना” से वह सूचना अभिप्रेत है जिसकी पहुंच अथवा जिसका प्रकटीकरण किन्हीं अप्राधिकृत व्यक्तियों तक होने से संवेदनशीलताओं की उत्पत्ति अथवा अनुचित उपयोग अथवा नागर विमानन के प्रति विधिविरुद्ध हस्तक्षेप का कोई कृत्य होता है;

(यम) “विनिर्दिष्ट” से महानिदेशक द्वारा जारी निदेश अभिप्रेत हैं;

(यय) “परीक्षण वस्तु” से नागर विमानन सुरक्षा उपायों की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए महानिदेशक द्वारा अनुमोदित वस्तु अभिप्रेत है;

(ययक) “टर्मिनल” से वह भवन अथवा भवनों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जहां यात्रियों, सामान, कार्गो, कूरियर बैगों आदि की छानबीन और वायुयानों में बोर्डिंग की जाती है और इसके अंतर्गत आगमन भवन भी हैं;

(ययख) “लावारिस सामान” से किसी विमान क्षेत्र पर सामान टैग लगा हुआ अथवा उसके बिना सामान अभिप्रेत है जिसे किसी यात्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठाया अथवा पहचाना नहीं गया है;

(ययग) “संवेदनशील हवाई अड्डा क्षेत्र अथवा स्थल” से हवाईअड्डा पर स्थित अथवा संपर्कित सुविधा अभिप्रेत है जिसकी क्षति होने अथवा नष्ट होने की स्थिति में हवाईअड्डा की कार्यशीलता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में हैं।

3. **महानिदेशक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व** – (1) महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित मामलों के संबंध में विनियामक और निरीक्षण कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महानिदेशक द्वारा निम्नालिखित कार्य किए जाएंगे;

(क) उड़ानों की संरक्षा, नियमितता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए विधिविरुद्ध कृत्यों तथा खतरे की संभावनाओं के विरुद्ध नागर विमानन प्रचालनों के रक्षोपाय से संबंधित अभिसमय के उबंध-17 के उबंधों से संगत राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम को स्थापित, विकसित, क्रियान्वित, अनुरक्षित, और पुनरीक्षित करना;

(ख) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करना;

- (ग) किसी भी बढ़ते हुए सुरक्षा संबंधी खतरे का सामना करने के लिए त्वरित जवाबी कार्रवाई हेतु प्रावधान करना;
- (घ) विभागों, अभिकरणों और अन्य सरकारी संगठनों में, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन से संबंधित अथवा इसके लिए उत्तरदायी विमान क्षेत्र तथा वायुयान प्रचालकों और अन्य अस्तित्वों के मध्य क्रियाकलापों को परिभाषित करना तथा इन्हें कार्य आबंटित करना और उनके मध्य समन्वय स्थापित करना;
- (ङ.) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी सभी संस्थाओं के कर्मियों के लिए राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास, कार्यान्वयन, रखरखाव और समीक्षा करना, जिसे उक्त सुरक्षा कार्यक्रम की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किया जाएगा।
- (च) नागर विमानन क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाले प्रत्येक हवाईअड्डे पर, एक प्राधिकारी को नामित करने का उपबंध किया जाएगा, जो सुरक्षा नियंत्रणों के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा;
- (छ) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम का विकास, कार्यान्वयन, रखरखाव और समीक्षा करना ताकि इससे राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम की प्रभावशीलता का अनुपालन निर्धारित किया जा सके और इसकी प्रभावशीलता को मान्य किया जा सके;
- (ज) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुपालन को सत्यापित करने और किसी भी कमी के तत्काल दूर करने और प्रभावी सुधार हेतु सुरक्षा ऑडिट, निरीक्षण और नियमित आधार पर किए जाने वाले परीक्षण के लिए उपबंध करना;
- (झ) राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन करना, और इसके अनुसार अपने राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के प्रासंगिक तत्व को समायोजित करने के लिए दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं विकसित करना;
- (ञ) पहचाने गए भू-स्थलीय क्षेत्रों के लिए जोखिम मूल्यांकन करने के लिए प्रावधान करना और भू-स्थल सुरक्षा उपायों की स्थापना के लिए समन्वय करना;
- (ट) साइबर खतरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण नागर विमानन प्रणालियों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु उपयुक्त मानकों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना; और
- (ठ) इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट मामलों के सहायक या आनुषंगिक किसी भी मामले पर निदेश और दिशानिर्देश जारी करना।

**4. राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा समिति -** (1) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से, तारीख 18 नवंबर, 1977 के आदेश सं. एवी.13024/58/77-ए, के अधीन इन नियमों के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा समिति के रूप में एक समिति का गठन किया गया है।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट समिति का गठन, राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न आक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित या उत्तरदायित्व विभागों, अभिकरणों और अन्य संस्थाओं के बीच राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा क्रियाकलापों के समन्वय की दृष्टि से किया गया है।

(3) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: -

(क) अध्यक्ष के रूप में सचिव, नागर विमानन मंत्रालय - पदेन;

(ख) ऐसे अन्य सदस्य जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं; और

(ग) सदस्य-सचिव-सह-संयोजक, के रूप में महानिदेशक। पदेन

**5. विमानपत्तन सुरक्षा समिति -** (1) सभी विमानपत्तन प्रचालक, जिनके सुरक्षा कार्यक्रम को महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया है, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुरूप विमानपत्तन सुरक्षा समिति की स्थापना करेंगे।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट विमानपत्तन सुरक्षा समिति, विमानपत्तन सुरक्षा कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट सुरक्षा नियंत्रणों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए विमानपत्तन प्रचालक को उसके निर्वाहन के निर्वाहन में सहायता करेगी।

**अध्याय 2****विमानन सुरक्षा सेवा**

**6. विमानन सुरक्षा समूह -** (1) प्रत्येक हवाई अड्डा प्रचालक, सरकारी सुरक्षा अभिकरण के उतने कार्मिकों को नियोजित करेगा जो इन नियमों के अधीन सौंपे गए सुरक्षा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाए।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नियोजित कार्मिकों को विमानन सुरक्षा समूह के रूप में और ऐसे समूह के एक अधिकारी को ऐसे सरकारी सुरक्षा अभिकरण द्वारा मुख्य हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारी के रूप में अभिहित किया जाएगा।

(3) विमानन सुरक्षा समूह, हवाई अड्डा प्रभारी के साधारण अधीक्षण और निदेश के अधीन कार्य करेगा।

(4) हवाई अड्डा प्रचालक, विमानन सुरक्षा समूह को ऐसी सुविधाएं और सहायता प्रदान करेगा जो महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(5) आकस्मिक स्थितियों में महानिदेशक विमानन सुरक्षा समूह की तैनाती में आवश्यक परिवर्तनों का आदेश कर सकेगा।

**7. मुख्य हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य -** मुख्य हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :-

(क) विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों से यात्रियों, कर्मी दल भूकार्मिकों और अन्य हवाई अड्डा उपयोगकर्ताओं, वायुयान, हवाई अड्डा और अन्य संबंधित सुविधाओं के सुरक्षोपाय, जिसके अंतर्गत भेद्य क्षेत्र या बिंदु हैं ;

(ख) हवाई अड्डा के निर्बन्धित क्षेत्र में पहुंच नियंत्रण उपायों का प्रवर्तन ;

(ग) परिधि सीमा की सुरक्षा ;

(घ) यात्रियों और उनके केबिन सामान की छानबीन ;

(ङ) यात्रियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की, उनके द्वारा हवाई अड्डे में ले जाई जा रही मदों की छानबीन ;

(च) हवाई अड्डे में प्रवेश कर रहे वाहनों की उनमें अंतर्विष्ट वस्तुओं के साथ छानबीन ;

(छ) हवाई अड्डे के भीतर और उसके चारों ओर क्षेत्र का निगरानी ;

(ज) सुरक्षा उपायों का प्रवर्तन, जिसके अधीन कार्पार्क, दृश्यदीर्घा, हवाई अड्डे रेस्तरां और चलन क्षेत्र के निकट के क्षेत्र सम्मिलित है ;

(झ) हवाई अड्डे परिसर में व्यवस्था और अनुशासन बनाए का अनुरक्षण ;

(ञ) सुरक्षा निर्बन्धित क्षेत्रों में व्यक्तियों और वाहनों के चलन का पर्यवेक्षण ;

(ट) स्थानीय पुलिस और सतर्कता अभिकरणों के साथ संपर्क ; और

(ठ) इन नियमों के अधीन प्राधिकार के कार्यक्षेत्र के भीतर महानिदेशक द्वारा सौंपा गया अन्य कर्तव्य।

**8. अशिष्ट यात्री का अवरोहण -** मुख्य हवाई अड्डे सुरक्षा अधिकारी या इस निमित्त विमानन सुरक्षा समूह में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, कमांड करने वाले विमान चालक के अनुरोध पर, वायुयान यात्रियों और कर्मीदल की रक्षा और सुरक्षा के आधार पर वायुयान से किसी व्यक्ति के अवरोहण में उसकी सहायता करेगा।

**9. प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण -** (1) प्रत्येक हवाई अड्डे प्रचालक, प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण के उतने कार्मिकों को नियोजित करेगा जो उसे सौंपे गए सुरक्षा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाए।

(2) प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण, मुख्य हवाई अड्डे सुरक्षा अधिकारी के प्रचालन, पर्यवेक्षण और निदेश तथा हवाई अड्डे प्रचालक के प्रशासनिक पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(3) प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण को ऐसे मानकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाए और ऐसे मानक जहां तक व्यवहार्य हो, सरकारी कार्मिकों को लागू मानकों के अनुरूप होंगे।

**अध्याय 3****सुरक्षा निर्बाधन और सुरक्षा कार्यक्रम**

**10. हवाई-अड्डों और विमान प्रचालकों का सुरक्षा कार्यक्रम -** (1) हवाईअड्डा प्रचालक, वायुयान प्रचालक, जैसा भी मामला हो, इन नियमों और राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के उपबंधों के अनुरूप, अपने संबंधित सुरक्षा कार्यक्रम विकसित करेगा, और महानिदेशक द्वारा ऐसे कार्यक्रम हेतु अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(2) अनुमोदित सुरक्षा कार्यक्रम संबंधित प्रचालक द्वारा कार्यान्वित और अनुरक्षित किया जाएगा।

(3) ऐसे कार्यक्रम में कोई भी संशोधन महानिदेशक के पूर्वानुमोदन के पश्चात किया जाएगा।

**11. हवाईअड्डा और विमान प्रचालकों द्वारा प्रचालन प्रारंभ** – (1) कोई भी हवाईअड्डा प्रचालक या विमान प्रचालक, सुरक्षा जांच और सुरक्षा व्यवस्था, जैसा भी लागू हो, और महानिदेशक से सुरक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, हवाईअड्डे पर प्रचालन शुरू नहीं करेगा।

**स्पष्टीकरण.**— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “सुरक्षा पुनरीक्षण” से वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन अभिप्रेत है जिसमें भेद्यता की पहचान सम्मिलित है जिसका उपयोग विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कार्य को करने के लिए किया जा सकता है, तथा अपेक्षाओं या सुधारात्मक कार्यों की सिफारिश जैसा कि किसी हवाईअड्डे, विमान, स्थान, व्यक्ति या वस्तु के संबंध में राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में निर्दिष्टानुसार है।

(2) कोई भी इकाई, इस नियम और राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के उपबंधों के अनुसार, महानिदेशक से सुरक्षा निर्वाधन और उनके सुरक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन के बिना या जब तक कि महानिदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में छूट न दी गई हो, जैसा भी लागू हो, हवाईअड्डे के सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रचालन शुरू नहीं करेगा।

**12. सुरक्षा निर्वाधन और सुरक्षा कार्यक्रम को निलंबित या रद्द करने की शक्ति**— (1) महानिदेशक, संबंधित निकाय को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के पश्चात्, इन नियमों के अधीन प्रदान की गई किसी भी सुरक्षा निर्वाधन या अनुमोदित सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में शर्तों को अधिकतम एक वर्ष के लिए निलंबित या रद्द या लागू कर सकता है, जहां उसके पास राष्ट्रीय सुरक्षा या नागर विमानन सुरक्षा के हित में इसके अधीन की कार्रवाई को आवश्यक मानने के लिए कोई उचित आधार है या यदि निकाय ने सुरक्षा निर्वाधन या सुरक्षा कार्यक्रम या इन नियमों के उपबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है या अनुपालन करने में विफल रहा है।

(2) महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जांच संचालित करने के पश्चात, निलंबन का प्रतिसंहरण किया जा सकता है या सुरक्षा निर्वाधन या सुरक्षा कार्यक्रम को रद्द किया जा सकता है।

**13. सुरक्षा निर्वाधन और सुरक्षा कार्यक्रम का नवीकरण** – (1) प्रत्येक अस्तित्व उसकी अनुमोदित सुरक्षा निर्वाधन और सुरक्षा कार्यक्रम के नवीकरण के लिए ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्रत्येक इकाई आवधिक रूप से, जैसा महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अपने विधिमान्य सुरक्षा कार्यक्रम का पुनर्विलोकन करेगा और संशोधन या उपांतरण, यदि कोई हों, को महानिदेशक के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

**14. मुख्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति** – प्रत्येक इकाई, विमानन सुरक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित अर्हता, प्रशिक्षण और अनुभव रखने वाले व्यक्ति को, मुख्य सुरक्षा अधिकारी या विमानन सुरक्षा अनुपालन अधिकारी, जो भी लागू हों, पदाभिहित व्यक्ति के रूप में नियुक्ति करेगा तथा उसे महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व सौंपेगा।

#### अध्याय 4

##### विमानन संबंधी सुरक्षा उपाय

**15. हवाई अड्डा में इकाईयों का प्रचालन** – कोई हवाई अड्डा प्रचालक स्वयं हवाई अड्डे की सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र में यथा लागू और महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट सुरक्षा निर्वाधन और सुरक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना किसी हवाई अड्डे में प्रचालन नहीं करेगा या किसी इकाई या व्यक्ति को प्रचालन करना, सेवाएं या सुविधाएं उपलब्ध कराना अनुज्ञात नहीं करेगा।

**16. हवाई अड्डे की योजना, डिजाइन और विन्यास** – (1) हवाई अड्डा की योजना, डिजाइन और विन्यास, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में उपबंधित विशिष्टियों के अनुसार होगा, जिसके अंतर्गत –

(क) यात्री, कर्मचारिवृंद, सामान, कार्गो, क्रूरियर, एक्सप्रेस पार्सल, डाक, भोजन, सामग्री भंडार और पूर्ति तथा विमानन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी अन्य मद को लागू सुरक्षा नियंत्रण ;

(ख) हवाई अड्डे की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण लक्षणों जैसे आवासीय क्षेत्र या कोई अन्य ढांटा या प्राकृतिक सीमा का विवरण ;

(ग) एयरसाइड, सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र, प्रसुविधा और अन्य भैद्य विमानन क्षेत्र या बिंदुओं का संरक्षण और पहुंच नियंत्रण ;

(घ) सुरक्षा उपस्कर का प्रतिस्थापन, प्रचालन और अनुरक्षण ; और



(ड) वास्तुकला और अवसंरचना से संबंधित अपेक्षा ।

(2) प्रत्येक हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा कराए गए सुरक्षा जोखिम निर्धारण के अनुसार नागर विमानन को सेवा प्रदान कर रहे हवाई अड्डे में महानिदेशक सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र स्थापित करेगा ।

(3) हवाई अड्डा प्रचालक राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में वर्णित सुरक्षा अपेक्षाओं और उपबंधों को एकीकृत करते हुए हवाई अड्डा डिजाईन और सुविधाएं तैयार करेगा ।

(4) प्रत्येक हवाई अड्डा प्रचालक हवाई अड्डे के संनिर्माण या हवाई अड्डा या उसके भाग में नई सुविधाएं के संनिर्माण या विद्यमान डिजाईन और सुविधाओं में परिवर्तन, जिनकी नागर सुरक्षा विवक्षाएं और प्रभाव हैं, के कार्य को महानिदेशक का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् हाथ में लेगा ।

**17. हवाई अड्डे की क्षेत्र सीमा** – प्रत्येक हवाई अड्डा प्रचालक हवाई अड्डे के चारों ओर 2.438 मीटर (8 फीट) ऊंचाई की क्षेत्र सीमा दीवार का संनिर्माण करेगा जिसका 0.457 मीटर (1.5 फीट) का बाड़ होगा :

परंतु महानिदेशक आदेश द्वारा किसी खतरे या किसी अन्य कारण से बाहरी दीवार या बाड़ की विशिष्टियों को उपांतरित कर सकेगा ।

**18. गश्त और पर्यवेक्षण चौकी के लिए प्रकाश और सड़क की व्यवस्था** – हवाई अड्डा प्रचालक हवाई अड्डा में निम्नलिखित सुरक्षा का प्रबंध करेगा, अर्थात् :-

(क) क्षेत्र सीमा और किसी अन्य भेद्य क्षेत्र के लिए प्रकाश व्यवस्था ;

(ख) सुरक्षा कार्मिकों द्वारा गश्त के लिए बाहरी सीमा के साथ-साथ सभी मौसम के अनुकूल सड़क ; और

(ग) सुरक्षा कार्मिकों के लिए पर्यवेक्षण या कमांड चौकियां :

परंतु महानिदेशक जोखिम निर्धारण पर विचार करते हुए ऐसा लिखित आदेश कर सकेगा जो वह सुरक्षा की व्यवस्था के लिए समुचित समझे ।

**स्पष्टीकरण** – नियम 17 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए “क्षेत्र सीमा” पद से दीवार या बाड़ जैसा भौतिक ढांचा अभिप्रेत है जिसका संनिर्माण किसी हवाई अड्डा या नागर विमानन से संबंधित अन्य सुविधाओं की बाहरी संरक्षा के लिए किया गया है जिससे इन क्षेत्रों में अप्राधिकृत पहुंच का निवारण किया जा सके ।

**19. हवाई अड्डा प्रचालक के अधीन सुविधाओं का संरक्षण** – प्रत्येक हवाई अड्डा प्रचालक उसके अधीन सभी भेद्य क्षेत्रों या बिंदुओं और प्रचालनों की पहचान करेगा, चिह्नित करेगा जिसके अधीन तकनीकी प्रचालक और अनुरक्षण, विद्युत आपूर्ति, वैद्युत उपकेन्द्र, नियंत्रण टावर और अन्य भवन भी हैं, जिनका उपयोग वायु यातायात सेवाओं और संचार सुविधाओं के लिए किया जाता है ।

**20. अज्ञात सामान या संदिग्ध वस्तु का हस्तालन** – हवाई अड्डा प्रचालक –

(क) किसी संदिग्ध या अज्ञात सामान, कार्गो, वाहन या वायुयान या किसी अन्य संदिग्ध वस्तु को रखने के लिए संरक्षित और अलग-थलग स्थान का संनिर्माण और संरक्षण करेगा ; और

(ख) उसका निर्धारण करने, पहचान करने और उसकी जांच करने तथा निपटान करने के लिए समुचित उपाय करेगा ।

**21. आकस्मिक योजना** - (1) हवाई अड्डा प्रचालक, महानिदेशक के अनुमोदन से, विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों से निपटने के लिए सुरक्षा चेतावनी की दशा में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के लिए आकस्मिक योजना और उपबंधों का विकास, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट योजनाओं का परीक्षण और पुनर्विलोकन, ऐसे नियमित अंतरालों पर किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

**22. हवाई अड्डे में प्रवेश** - (1) केंद्रीय सरकार हवाई अड्डा प्रवेश अनुज्ञा पत्र जारी करने और उपयोग करने के लिए शर्तें अंतर्विष्ट करते हुए दिशानिर्देश जारी करेगी ।

(2) कोई व्यक्ति हवाई अड्डे में प्रवेश नहीं करेगा या प्रवेश करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक –

(क) वह सड़कावी यात्री नहीं है;

(ख) उसे विधिमान्य हवाई अड्डा प्रवेश अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया है;

(ग) उसे विधिमान्य आगंतुक प्रवेश टिकट जारी नहीं किया गया है; या

(घ) महानिदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा लिखित में अनुज्ञा प्रदान नहीं की गई है।

(3) किसी वाहन को हवाई अड्डा में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञा नहीं किया जाएगा या उसमें बने रहना अनुज्ञा नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे वाहन को--

(क) विधिमान्य वाहन प्रवेश अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया है; या

(ख) महानिदेशक द्वारा विशेष रूप से लिखित में अनुज्ञा नहीं किया गया है।

(4) कोई व्यक्ति, वाहन, जिसे हवाई अड्डे में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञा किया गया है ऐसी अनुज्ञा की शर्तों का सभी समय पालन करेगा।

**23. वाहनों से संबंधित सुरक्षा उपाय -** प्रत्येक हवाई अड्डा प्रचालक, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्टानुसार, हवाई अड्डे तक पहुंच प्रदान किए जाने वाले वाहनों की, उनमें अंतर्निहित वस्तुओं के साथ छानबीन या अन्य उपयुक्त सुरक्षा नियंत्रण लागू करने के लिए उपबंध स्थापित करेगा।

**24. हवाई अड्डा प्रवेश अनुज्ञा पत्र और वाहन प्रवेश अनुज्ञा पत्र जारी करना -** (1) हवाई अड्डा प्रवेश अनुज्ञा पत्र और वाहन प्रवेश अनुज्ञा पत्र, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार जारी किए जाएंगे।

(2) हवाई अड्डा प्रचालक, यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रयुक्त आगंतुक प्रवेश टिकट हमेशा सुरक्षित रखा जाए, और हवाई अड्डा प्रवेश अनुज्ञा पत्र और आगंतुक प्रवेश टिकट जारी करने के लिए उपयोग किए जा रहे क्षेत्रों और प्रणालियों को पहुंच नियंत्रण प्रणाली द्वारा सुरक्षित रखा जाए।

**25. कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच -** प्रत्येक इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डा पर कार्य कर रहे या संवेदनशील विमानन सुरक्षा जानकारी तक पहुंच रखने वाले प्रत्येक कर्मचारी की प्रारंभिक और आवधिक पृष्ठभूमि जांच, महानिदेशक द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

**26. हवाई अड्डा प्रवेश अनुज्ञा पत्र और वाहन प्रवेश अनुज्ञा पत्र को प्रदर्शित करना -** (1) हवाई अड्डा प्रवेश अनुज्ञा पत्र को उसके धारक द्वारा, ज्यूटी के दौरान हर समय कमर से ऊपर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) वाहन प्रवेश अनुज्ञा पत्र धारक, ऐसे अनुज्ञा पत्र को, जब वाहन हवाई अड्डे में हो, ऐसे वाहन की सामने वाली विंडस्क्रीन के बाईं ओर, हर समय प्रदर्शित करेगा।

(3) हवाई अड्डा प्रवेश अनुज्ञा पत्र तब तक हस्तांतरणीय नहीं है, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे आधारों के अधीन रहते हुए छूट प्रदान नहीं की गई हो।

**27. हवाई अड्डा प्रवेश अनुज्ञा पत्र और वाहन प्रवेश अनुज्ञा पत्र का अभ्यर्पण -** हवाई अड्डा प्रवेश अनुज्ञा पत्र और वाहन प्रवेश अनुज्ञा पत्र, जो भी लागू हो, को केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, महानिदेशक या इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को अभ्यर्पित किया जाएगा।

**28. स्टॉप लिस्ट का अनुरक्षण और उपलब्धता -** प्रवेश अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी स्टॉप लिस्ट का निरीक्षण करेंगे तथा प्रत्येक हवाई अड्डा प्रचालक केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार इसे सभी पहुंच बिन्दुओं और सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्रों में, विमानन सुरक्षा समूह और अन्य सुसंगत पहुंच नियंत्रण का प्रयोग करने वाले अन्य संबंधित इकाइयों को उपलब्ध कराएगा।

**29. प्रवेश का आरक्षित अधिकार -** इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हवाई अड्डा प्रचालक या महानिदेशक, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह सुरक्षा के हित में-

(क) हवाई अड्डे में किसी व्यक्ति को प्रवेश देने से इंकार कर सकता है; या

(ख) किसी व्यक्ति से हवाई अड्डे को छोड़ने की अपेक्षा कर सकता है।

**30. आयुध या विस्फोटक ले जाने का प्रतिषेध -** कोई भी व्यक्ति हवाई अड्डे या वायुयान में किसी आयुध, अग्न्यास्त्र, गोला-बारूद या विस्फोटक के साथ प्रवेश नहीं करेगा :

परंतु इस उप-नियम के उपबंध निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होंगे -

- (क) विमानन सुरक्षा समूह, सशस्त्र बलों और पुलिस कार्मिकों, जिनसे उनके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में अपने आयुध, अग्न्यास्त्र या गोला बारूद ले जाने की अपेक्षा है ;
- (ख) सदभावी यात्री, जिनके साथ वायु मार्ग से और विधिमान्य कारणों से आयुध और गोलाबारूद ले जाने के लिए संबंधित प्राधिकारी से वैध अनुज्ञा है ; और
- (ग) ऐसे परीक्षण पदार्थ, जिनको विमानन सुरक्षा की प्रभावशीलता की जांच करने के प्रयोजन के लिए महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया है ।

**31. सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र और सुरक्षा होल्ड क्षेत्र में प्रवेश -** (1) महानिदेशक द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षा नियंत्रणों को लागू किए बिना सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र में किसी वाहन, व्यक्ति और सामान या मद या आपूर्ति या भंडार या व्यापार के औजार, जिन्हें ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन किया जा रहा है, का प्रवेश किया जाना अनुज्ञात नहीं होगा ।

(2) सुरक्षा होल्ड क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करने से पहले, विमानन सुरक्षा समूह, प्रत्येक व्यक्ति, सामान, माल-असबाब, आपूर्तियों, भंडार की जांच करेगा, जब तक कि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में छूट प्रदान न की जाए ।

**32. आरोहण से पूर्व सुरक्षा जांच -** (1) किसी विमान में आरोहण से पूर्व, यात्रा आरंभ करने वाला यात्री और अभिवहन यात्री विमान पर चढ़ने से पहले और उसका केबिन सामान, यदि हों कि विमानन सुरक्षा समूह के किसी अधिकारी द्वारा या इस निमित्त महानिदेशक द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

(2) उप-नियम (i) के उपबंध अभिवहन करने वाले यात्रियों को केवल तभी लागू होंगे, यदि वे वायुयान से उतरते हैं:

परंतु इस नियम के उपबंध ऐसे व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे, जो महानिदेशक द्वारा लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए ।

**स्पष्टीकरण -** इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "अभिवहन यात्रियों" पद से ऐसे यात्री अभिप्रेत है, जो उसी विमान से प्रस्थान कर रहे हैं जिसमें उन्होंने आगमन किया था ।

(3) विमानन सुरक्षा समूह और वायुयान प्रचालक यात्री और उनके जांच किए गए सामान की जांच किए जाने वाले बिंदु से वायुयान में आरोहण करने तक अप्राधिकृत हस्तक्षेप से संरक्षा करेंगे ।

**33. कतिपय वस्तुओं के वहन पर प्रतिषेध -** (1) महानिदेशक लिखित आदेश द्वारा व्यक्ति द्वारा या यात्री के सामान में तथा कर्मिदल के सदस्यों द्वारा कतिपय वस्तु के वहन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा जिनके उसकी राय में नागर विमानन के साथ विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों को कारित करने में उपयोग किया जा सकता है ।

(2) जब द्धानवीन के दौरान प्रतिषिद्ध वस्तुओं का पता चलता है इन नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

**34. वायुयान प्रचालक द्वारा सुरक्षा कर्मचारिवृंद की तैनाती -** वायुयान प्रचालक सुरक्षा कर्तव्यों के लिए केवल उन्हीं कार्मिकों को तैनात करेगा, जो नियमित कर्मचारी है, जिनकी पृष्ठभूमि की प्रारंभता और आवधिक रूप से तत्पश्चात् सफलतापूर्वक जांच कर ली गई है और जिन्हें उचित चयन, समुचित प्रशिक्षण और प्रमाणन, जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के पश्चात् तैनात किया गया है :

परंतु कोई वायुयान प्रचालक किसी भारतीय अनुसूचित कैरियर या किसी हवाई अड्डा प्रचालक के साथ सुरक्षा कृत्यों के निष्पादन के लिए संविदा कर सकेगा और ऐसे सुरक्षा कृत्यों के लिए, यथास्थिति, भारतीय अनुसूचित कैरियर या हवाई अड्डा प्रचालक से नियम में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नियमित कर्मचारियों को नियोजित कर सकेगा ।

**35. वायुयान की सुरक्षा जांच या तलाशी -** (1) प्रत्येक वायुयान प्रचालक अपने वायुयान की महानिदेशक द्वारा यथावनिर्दिष्ट जांच या तलाशी -

(क) दिन के पहले प्रस्थान से पूर्व केवल सारे अनुरक्षण और स्वच्छता कर्मचारिवृंद द्वारा वायुयान को खाली कर दिया गया हो, के पश्चात् और यात्रियों के आरोहण से पूर्व ;

(ख) प्रत्येक उड़ान के बीच यात्रियों के वायुयान में आरोहण से पूर्व और अवरोहण के पश्चात् ;

(ग) उसके द्वारा जब कभी भी निदेश दिया जाए,

करेगा ।

(2) भारत को या भारत से बाहर प्रचालन करने वाला प्रत्येक वायुयान प्रचालक वायुयान से उड़ान से अवरोहण करने वाले यात्रियों द्वारा पीछे छोड़ दी गई मदों को हटाया जाना और उनका निपटान किया जाना सुनिश्चित करेगा।

**36. वायुयान में पहुंच नियंत्रण -** (1) वायुयान प्रचालक वायुयान में पहुंच का नियंत्रण करेगा और सुरक्षा, तलाशी या जांच से वायुयान के प्रस्थान तक निगरानी करता रहेगा।

(2) वायुयान प्रचालक, प्रचालन न करने वाले वायुयान की निगरानी को जारी रखते हुए सुरक्षित रखेगा और निम्नलिखित सुरक्षा उपाय करेगा, अर्थात् :-

- (क) केबिन का दरवाजा बंद है ;
- (ख) एयरोब्रिज और वेंट्रल सीढ़ियां संलग्न हैं, हटा दी गई हैं या फोल्ड की गई हैं ;
- (ग) छेड़छाड़ के साक्ष्य वाली सुरक्षा मुहर को पैलन, कक्षों और दरवाजों पर चिपकाया गया है ; और
- (घ) महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अवधारित कोई अतिरिक्त सुरक्षा उपाय।

**37. कॉकपिट दरवाजे तथा कर्मीदल कक्ष का संरक्षण और पहुंच नियंत्रण -** प्रत्येक वायुयान प्रचालक,-

- (क) सुनिश्चित करेगा कि उड़ान के सभी चरणों के दौरान जब तक कि प्रचालन कारणों से खोला जाना अपेक्षित न हो, वायुयान के कॉकपिट के दरवाजे बंद है;
- (ख) उड़ान कर्मी दल और उड़ान के दौरान केबिन कर्मीदल के बीच संचार प्रणाली की स्थापना तथा अनुरक्षण;
- (ग) कॉकपिट की पहुंच नियंत्रण का उत्तरदायित्व, समादेशक पायलट को सौंपेगा।

**38. उड़ान में सुरक्षा अधिकारी की तैनाती -** वायुयान प्रचालक

(क), किसी यात्री वायुयान में ऐसी संख्या में उड़ान सुरक्षा अधिकारी को ले जा सकेंगे जो महानिदेशक द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट किए जाएं; और

(ख) समादेशक पायलट को उड़ान में सुरक्षा अधिकारियों की संख्या तथा उनकी सीट स्थिति के बारे में घोषणा करेंगे।

**39. धारित यात्री सामान का सुरक्षा नियंत्रण-** (1) यथास्थिति वायुयान प्रचालक या हवाईअड्डा प्रचालक, धारित सामान को छानबीन करने के प्रवेश के प्वाइंट से लेकर या प्रचालक की अभिरक्षा में स्वीकृत किए जाने से लेकर यथा लागू उस वायुयान के प्रस्थान तक जिसमें इसे ले जाया जाना है, इस सामान की छानबीन तथा उसकी अनधिकृत हस्तक्षेप से सुरक्षा, ऐसी रीति में होगी जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) कोई वायुयान प्रचालक धारित सामान की पहचान और पुनर्मिलाप ऐसी रीति में करेगा जो महानिदेशक द्वारा लिखित में एक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए है।

(3) वायुयान प्रचालक लदाई करने से पहले अंतरित धारित सामान की छानबीन सुनिश्चित करेगा:-

परंतु घरेलू उड़ानों के लिए प्रारंभ के बिन्दु पर धारित सामान की छानबीन की जाएगी और तत्पश्चात उसे प्रारंभिक हवाईअड्डा से प्रस्थानकर्ता वायुयान में अनधिकृत हस्तक्षेप से सुरक्षित करके छानबीन के अध्यक्षीन न रहते हुए अंतरित हवाईअड्डा को ले जाया जाएगा।

**40. वायुयान में कैदियों का वहन-** वायुयान प्रचालक किसी कैदी को ऐसी प्रक्रिया से वहन करेगा जो कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

**स्पष्टीकरण-** इस नियम के प्रयोजनों के लिए "कैदी" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भी जेल में बंद है तथा इसके अंतर्गत ऐसा वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है।

**41. कार्गो, डाक, खान-पान की आपूर्ति, खान-पान भंडार और अन्य भंडार का वहन-** कोई भी वायुयान प्रचालक किसी भी कार्गो, डाक, खान-पान आपूर्ति, खान-पान भंडार और अन्य भंडार और आपूर्ति को फलक पर तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि ऐसी रीति में जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उपयुक्त सुरक्षा नियंत्रण लागू नहीं किया गया हो।

**42. वायुयान का निरोध -** महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, कारणों को लेखबद्ध करके, किसी वायुयान का निरोध कर सकेगा, यदि उसकी राय में -

- (क) वायुयान के फलक पर अनधिकृत शस्त्र, विस्फोटक या अन्य विध्वंसक युक्तियाँ हों जिनसे उस वायुयान की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो;
- (ख) वायुयान के फलक पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अनधिकृत रीति से वायुयान में प्रवेश प्राप्त किया है या जिससे नागर विमानन प्रचालनों के साथ विधिविरुद्ध हस्तक्षेप होने की संभावना है; या
- (ग) इन नियमों के किसी भी उपबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरोध आवश्यक है।

**43. कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो तथा डाक -**

(1) किसी भी वायुयान पर ले जाए जाने वाले किसी भी कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो, डाक या कूरियर बैग, वायुयान प्रचालक के नियमित कर्मचारियों या विनियमित अभिकर्ता या ज्ञात परेषक द्वारा, जो राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित समुचित सुरक्षा नियंत्रण के अधीन होगा।

(2) किसी भी कार्गो को बिना समुचित सुरक्षा नियंत्रण जो कि भौतिक जांच तथा एक्स-रे छानबीन हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, को लागू किए बिना वायुयान में लदान नहीं किया जाएगा;

परंतु महानिदेशक, लिखित आदेश द्वारा और ऐसे कारणों के अध्यधीन जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं किसी भी कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो या डाक को इस नियम के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगा।

**44. वायुयान प्रचालक द्वारा कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो तथा डाक के लिए सुरक्षा नियंत्रण -** (1) अपने वायुयान पर परिवहन के लिए एक विनियमित अभिकर्ता या ज्ञात परेषक से परेषण स्वीकार करने वाला वायुयान -

- (क) महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे परेषण का निरीक्षण संचालित करेगा;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उच्च जोखिम वाले कार्गो और डाक पर इससे जुड़े खतरे को कम करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं; और
- (ग) ऐसे परेषण के विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जब तक कि इसे वायुयान में नहीं रखा गया हो।

(2) एक वायुयान प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि-

- (क) नागर विमानन के विरुद्ध विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों को रोकने के लिए उस परेषण पर, एक परेषक या परेषक जो कि एक विनियमित अभिकर्ता या ज्ञात परेषक नहीं है, के किसी अधिकृत प्रतिनिधि से स्वीकार किया जाता है पर, सुरक्षा नियंत्रण को लागू करना,
- (ख) यह कि अंतरित कार्गो तथा डाक, वायुयान में लदान किए जाने से पहले महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समुचित सुरक्षा नियंत्रण के अधीन हैं।

**45. कतिपय माल के वहन का प्रतिषेध -** (1) महानिदेशक, लिखित आदेश द्वारा और इसमें विनिर्दिष्ट कारणों के अध्यधीन कार्गो या कूरियर बैगों या डाक के माध्यम कतिपय माल के वहन का प्रतिषेध कर सकेगा।

(2) प्रतिषिद्ध वस्तुओं वाले परेषण को वायुयान में लदान नहीं किया जाएगा :

परंतु महानिदेशक, आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, कतिपय प्रतिषिद्ध वस्तुओं को वायुयान पर लदान करने की अनुज्ञा कर सकेगा।

**46. कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो तथा डाक के लिए विनियमित अभिकर्ता द्वारा सुरक्षा नियंत्रण -**

(1) वायुयान प्रचालक, वायुयान द्वारा परिवहन किए जाने वाले कार्गो, कूरियर तथा डाक के लिए विनियमित अभिकर्ता को सुरक्षा नियंत्रण लागू किए जाने के लिए लगा सकेगा जो महानिदेशक द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगा।

(2) विनियमित अभिकर्ता निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा कि—

- (क) ऐसी स्वीकृति करने से लेकर विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के विरुद्ध परेषण को सुरक्षित रखने तक ऐसा परेषण जब तक इसे वायुयान प्रचालक के सुरक्षा कर्मचारियों या सुरक्षा सेवा प्रदाता के कर्मचारियों सौंप दिया गया है;
- (ख) उसके भवनों, परिसरों, परिवहन सुविधाओं तथा कार्गो गोदामों की सुरक्षा;
- (ग) यह कि परेषण के सभी संबंधित सुरक्षा दस्तावेजों का रखरखाव किया गया है;

- (घ) सुरक्षा नियंत्रण लागू करने के लिए विनियमित अभिकर्ता द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों के लिए, महानिदेशक द्वारा अवधारित ऐसे उपबंधों के अनुसार, भर्ती और प्रशिक्षण; और
- (ङ) कि उच्च जोखिम वाले कार्गो और डाक पर अतिरिक्त सुरक्षा नियंत्रण जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, लागू किए गए हैं ताकि इससे जुड़े खतरे को कम किया जा सके।

**47. वायुयान प्रचालक द्वारा खान-पान आपूर्ति तथा भंडार की स्वीकृति -** कोई वायुयान प्रचालक वायुयान द्वारा परिवहन के लिए खान-पान प्रतिष्ठान से किसी भी खान-पान आपूर्ति और भंडार को तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि खान-पान प्रतिष्ठान के सुरक्षा कार्यक्रम को महानिदेशक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

**48. खानपान प्रतिष्ठान का उत्तरदायित्व -** प्रत्येक खानपान प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि-

- (क) अपने नियमित कर्मचारियों के माध्यम से अपने प्रतिष्ठान पर प्राप्त किए गए खानपान भंडार और आपूर्ति की सुरक्षा;
- (ख) इसके भवनों, परिसरों और परिवहन सुविधाओं की सुरक्षा अपने नियमित कर्मचारियों के माध्यम से या ऐसे अभिकरण द्वारा जो महानिदेशक द्वारा अनुमोदित हो;

**49. महत्वपूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों तथा डेटा की पहचान एवं जोखिम मूल्यांकन के लिए सुरक्षा संबंधी उपाय - (1)** प्रत्येक इकाई अपनी महत्वपूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों और नागर विमानन प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा की पहचान करेगी और जोखिम मूल्यांकन और राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार, इसे अनधिकृत पहुंच, परिवर्तन और उपयोग से बचाने के लिए समुचित सुरक्षा उपायों को विकसित और कार्यान्वित करेगी।

(2) प्रत्येक इकाई उचित रूप से चयनित, भर्ती और समुचित रूप से प्रशिक्षित कर्मचारिवृंद को महत्वपूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली और डेटा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व सौंपेगी।

(3) उपनियम-2 में निर्दिष्ट कर्मचारिवृंद की अर्हताएं और पात्रता मानदंड ऐसे होंगे जो किसी इकाई द्वारा महानिदेशक के परामर्श से अवधारित किए जाएं।

**50. साइबर हमले का पता लगाना और साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया योजना -** प्रत्येक इकाई अपनी महत्वपूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों और डेटा तक अनधिकृत पहुंच का पता लगाने के लिए प्रक्रियाओं को विकसित और कार्यान्वित करेगी और एक साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया योजना को ऐसे मानदंडों सहित जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं स्थापित करेगी।

### अध्याय 5 – सुरक्षा दुर्घटना/घटनाएं

**51. सुरक्षा दुर्घटना या घटना की रिपोर्टिंग -** प्रत्येक इकाई महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट, सुरक्षा दुर्घटना या घटना की रिपोर्ट करेगी।

**52. सुरक्षा दुर्घटना या घटनाओं की सुरक्षा जांच -**

(1) महानिदेशक किसी भी सुरक्षा दुर्घटना या घटना जो उसे सूचित की गई हो या जो उसके संज्ञान में आई हो, की सुरक्षा अन्वेषण का लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा और एक अधिकारी जो सहायक निदेशक के पद से नीचे का ना हो, को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट जांच अधिकारी सभी संबंधितों को सुनवाई का अवसर देकर जांच करेगा और महानिदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

**53. जांच अधिकारी की शक्तियां -** जांच के प्रयोजन के लिए, किसी जांच अधिकारी को निम्न शक्तियां प्राप्त होंगी -

- (क) सूचना द्वारा, किसी व्यक्ति और कंपनी की उपस्थिति की अपेक्षा;
- (ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन की सही प्रकृति की बावत उससे घोषणा करवाने तथा उस पर हस्ताक्षर करवाने की अपेक्षा;
- (ग) किसी भी अपेक्षित प्रमाण पत्र, पुस्तक, मैनुअल, रिकॉर्ड, सूची, नोटिस, अन्य दस्तावेज और लेख को प्रस्तुत करने के लिए कहना; तथा
- (घ) किसी वायुयान या स्थान तक पहुँच और जांच का अधिकार।

### अध्याय 6 – सूचना और अभिलेख की सुरक्षा

**54. संवेदनशील विमानन सुरक्षा सूचना की सुरक्षा -** सभी इकाइयां यह सुनिश्चित करेंगी कि उनका सुरक्षा कार्यक्रम और अन्य संवेदनशील विमानन सुरक्षा सूचना और इसकी सामग्री, अनधिकृत पहुंच, संशोधन और प्रकटीकरण से सुरक्षित हैं।

**55. संवेदनशील विमानन सुरक्षा सूचनाओं का अनधिकृत प्रकटीकरण -** कोई भी व्यक्ति किसी भी संवेदनशील विमानन सुरक्षा जानकारी जिसे उसके द्वारा, अपने सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के दौरान अर्जित किया गया है, का प्रकटीकरण ऐसे किसी व्यक्ति को और ऐसी रीति के सिवाय जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अधिनियम के या इन नियमों के अधीन इस तरह प्रकटीकरण अपेक्षित न हो या केंद्रीय सरकार या इसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी या विधि की प्रक्रिया द्वारा अपेक्षित न हो, नहीं करेगा।

**56. मिथ्या विवरण, प्रविष्टियाँ या अप्राधिकृत पुनःप्रस्तुतीकरण -** कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित में से कुछ भी नहीं करेगा या करवाएगा -

(क) कपटपूर्ण या जानबूझकर दिया गया झूठा कथन या महानिदेशक को प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज में दी गई तात्विक जानकारी में किया गया परिवर्तन;

(ख) इस नियम के अनुपालन को दर्शाने के लिए, बनाए गए या उपयोग किए गए किसी भी रिकॉर्ड या रिपोर्ट में कपटपूर्ण या जानबूझकर गलत प्रविष्टि या किसी भी तात्विक जानकारी में परिवर्तन;

(ग) किसी रिपोर्ट, रिकॉर्ड, दस्तावेज़, सुरक्षा निकासी, सुरक्षा कार्यक्रम, हवाईअड्डा प्रवेश परमिट, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दी गई किसी अन्य अनुमति का अनधिकृत पुनः प्रस्तुतीकरण या परिवर्तन या कूटरचना।

**57. अभिलेखों का अवधारण -** प्रत्येक इकाई दस्तावेजों, डेटा या सूचना के रिकॉर्ड को ऐसी रीति और समय में जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संधारित करेगी।

### अध्याय 7 – सामान्य

**58. सुरक्षा लेखासंपरीक्षा तथा सुरक्षा निरीक्षण -**

- (1) कोई भी व्यक्ति, जिसे महानिदेशक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम तथा इन नियमों के उपबंधों के साथ, किसी युक्तियुक्त समय पर किसी भी स्थान या विमान पर जहाँ पर सुविधाओं, सेवाओं, उपस्करों, दस्तावेजों तथा रिकार्ड की संपरीक्षा और निरीक्षण आवश्यक है, प्रवेश कर सकेगा।
- (2) कोई भी इकाई, ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर अनुरोध के अनुसार रिकार्ड, डेटा तथा अन्य सभी सूचनाएं प्रस्तुत करेगी।
- (3) प्रत्येक इकाई राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम और राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुरूप एक लिखित आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम विकसित करेगी, कार्यान्वित करेगी और इसे बनाए रखेगी।

**59. कर्मचारियों का सुरक्षा प्रशिक्षण -** प्रत्येक इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा सुरक्षा या गैर-सुरक्षा कर्तव्यों में लगाए गए कर्मचारी, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण में प्रशिक्षित और निपुण हैं।

**60. स्क्रीनर का प्रमाणन और क्षमता -** कोई भी इकाई किसी कर्मचारी को छानबीन कार्यों के लिए तब तक अभिनियोजित नहीं करेगी जब तक कि वह राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण के माध्यम से समुचित रूप से चयनित, समुचित रूप से प्रशिक्षित और अपेक्षित सक्षमताओं को धारित नहीं करता है।

**61. सुरक्षा उपस्करों की स्थापना, संचालन और अनुरक्षण -** (1) कोई भी इकाई किसी ऐसे सुरक्षा उपस्कर को स्थापित और संचालित नहीं करेगी जो महानिदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअवधारित न्यूनतम विनिर्देश मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

(2) प्रत्येक इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि विमानन सुरक्षा प्रयोजन के लिए उनके द्वारा अभिनियोजित सुरक्षा उपस्कर परिचालन की स्थिति में बनाए रखे गए हैं।

**62. महानिदेशक द्वारा निदेश -** (1) महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप लिखित में ऐसे निदेश जारी कर सकते हैं और ऐसे निदेश उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी होंगे जिन्हें ऐसे निदेश जारी किए गए हैं।

(2) महानिदेशक लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और उसमें वर्णित ऐसी शर्तों के अधीन, इस नियम के अधीन जारी किए गए निदेशों के संचालन से किसी भी वायुयान या वायुयानों के वर्ग या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छूट दे सकते हैं।

**63. छूट की सामान्य शक्ति -** केन्द्रीय सरकार, किसी सामान्य या लिखित में विशेष आदेश द्वारा, उसमें वर्णित ऐसी शर्तों कि अधीन इन नियमों के अधीन जारी किए गए आदेशों के संचालन से किसी भी वायुयान या वायुयानों के वर्ग या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छूट दे सकते हैं।

## अध्याय 8

### अपील, अपराधों का प्रशमन और शास्ति

**64. अपील -** (1) कोई भी व्यक्ति, किसी अधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन उसे प्रदत्त की गई शक्तियों के प्रयोग में पारित आदेश से व्यथित होने पर, उस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा और जो ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी से श्रेणी में अगले उच्चतर स्थान पर हो, वह उक्त आदेश की प्रति उसके द्वारा प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कर सकता है:

परन्तु तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अपील पर विचार किया जा सकता है, यदि अपीलार्थी या आवेदक ने उस अवधि के भीतर अपील फाइल नहीं करने का पर्याप्त कारण दिखाया हो।

(2) अपील अधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, वह पारित आदेश की पुष्टि, उपांतरण या उसे अपास्त कर सकता है जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

(3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी— महानिदेशक द्वारा पारित आदेश के मामले में, अपील, नागर विमानन मामलों से निपटने वाले मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के पास होगी और उक्त सचिव के आदेश के विरुद्ध और कोई अपील दायर नहीं की जाएगी।

(4) अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी आदेश, इस नियम के अधीन अपीलिय नहीं होगा।

**65. अपराध और प्रशमन -** (1) अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति, जिसने इन नियमों की पहली अनुसूची की सारणी 1 में विनिर्दिष्ट किसी नियम का उल्लंघन किया है, तो वह पहली अनुसूची के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट शास्ति के अनुसार दायी होगा।

(2) अधिनियम की धारा 12क के उपबंधों के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 10, धारा 11, धारा 11क और धारा 12 के अधीन दण्डनीय अपराध और इन नियमों की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार, महानिदेशक द्वारा या किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा, जो उक्त अधिनियम की धारा 4ख की उपधारा (4) के अधीन पहली अनुसूची में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विशेष रूप से सशक्त हो।

**66. शास्ति -** (1) कोई भी व्यक्ति, जिसने इन नियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी नियम का उल्लंघन किया है, दूसरी अनुसूची में अधिकथित सीमा तक और अधिनियम की धारा 10क के उपबंधों के अनुसार शास्ति के अधिरोपण के लिए दायी होगा।

(2) दूसरी अनुसूची में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट अधिकारियों या अपील अधिकारी द्वारा शास्ति का न्यायनिर्णीत किया जाएगा।

[मि. सं. ए वी 13024/11/2022 – ए. एस.]

श्री प्रमोद कुमार ठाकुर, उप महानिदेशक



पहली अनुसूची  
(नियम 65 देखिए)

अपराधों का दंड और प्रशमन

1. वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2023 के अधीन दंडनीय अपराध, जो दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा, या दोनों से, और उसके प्रशमन के लिए रकम से दंडनीय होगा :

सारणी 1

क्र. सं.	विषय वस्तु का अपालन	सुसंगत नियम	व्यष्टि द्वारा कारित अपराध के प्रशमन के लिए रकम (रुपए में)
1.	हवाई अड्डा और वायुयान के प्रचालकों के सुरक्षा कार्यक्रम नियम के संबंध में नियम 10 का अननुपालन	नियम 10 का उपनियम (1) और उपनियम (2)	पच्चीस लाख
2.	हवाई अड्डा और वायुयान प्रचालको द्वारा प्रचालन के प्रारंभ के संबंध में नियम 11(1) का अननुपालन	नियम 11(1)	पच्चीस लाख
3.	हवाई अड्डा पर प्रचालन इकाइयों के सुरक्षा निबंधन और सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में नियम 11(2) का अननुपालन	नियम 11(2)	दो लाख
4.	सुरक्षा निबंधन और सुरक्षा कार्यक्रम के अवसान से पूर्व इकाइयों द्वारा सुरक्षा निर्वाधन और सुरक्षा कार्यक्रम के नवीकरण के संबंध में नियम 13(1) का अननुपालन	नियम 13(1)	एक लाख
5.	सुरक्षा निर्वाधन और सुरक्षा कार्यक्रम के बिना हवाई अड्डा पर इकाइयों के प्रचालन के संबंध में नियम 15 का अननुपालन	नियम 15	दो लाख
6.	हवाई अड्डा सुरक्षा की योजना, डिजाइन और अभिन्यास के संबंध में नियम 16 का अननुपालन	नियम 16	दस लाख
7.	हवाई अड्डा प्रचालन द्वारा आकस्मिकता योजना के संबंध में नियम 21 का अपालन	नियम 21 का उपनियम (1) और उपनियम (2)	दो लाख
8.	हवाई अड्डा में प्रवेश के उपबंधों का अननुपालन	नियम 22 उपनियम (2) और उपनियम (3) का	पचास हजार
9.	हवाई अड्डा प्रवेश अनुज्ञा और यान प्रवेश अनुज्ञा के जारी करने के संबंध में नियम 24(1) का उल्लंघन	नियम 24(1)	एक लाख
10.	हवाई अड्डा प्रवेश अनुज्ञा और यान प्रवेश अनुज्ञा के अभ्यर्पण के संबंध में निदेश का अननुपालन	नियम 27	दस हजार
11.	हवाई अड्डा प्रवेश अनुज्ञा के अंतरण के निषेध के संबंध में नियम 26(3) का उल्लंघन	नियम 26(3)	पचास हजार
12.	नियम 29 के अधीन प्रवेश के आरक्षित अधिकार से संबंधित निदेश का अपालन	नियम 29	पचास हजार
13.	हथियार या विस्फोटक ले जाने के निषेध के संबंध में नियम 30 का उल्लंघन	नियम 30	अशमनीय
14.	सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के उपबंधों का उल्लंघन	नियम 31 उपनियम (1)	पचास हजार

15.	सुरक्षित रखे गए क्षेत्र में प्रवेश के संबंध में उपबंध का उल्लंघन	नियम 31 का उपनियम (2)	पचास हजार
16.	उड़ान में तैनात सुरक्षा अधिकारी को ले जाने के निदेश का अननुपालन	नियम 38	अशमनीय
17.	नियम 42 के अधीन जारी निदेश का अननुपालन	नियम 42	अशमनीय

2. वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 10, धारा 11, धारा 11क और धारा 12 के अधीन दंडनीय अपराधों के प्रशमन के लिए रकम:

### सारणी 2

क्र. सं०	अपराध और सुसंगत धारा	व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के प्रशमन के लिए रकम (रुपयों में)
1.	धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध (हथियारों और विस्फोटकों की दुलाई से संबंधित अपराध को छोड़कर)	पच्चीस लाख
2.	धारा 11 के अधीन दण्डनीय अपराध	पच्चीस लाख
3.	धारा 11ए के अधीन दण्डनीय अपराध	पच्चीस लाख
4.	धारा 12 के अधीन दण्डनीय अपराध	ऐसे अपराधों के लिए उपबंधित रकम

3. जहां ऐसा अपराध संगठन द्वारा किया गया है, वहाँ अपराधों के प्रशमन के लिए रकम निम्नानुसार होगी:-

### सारणी 3

उल्लंघन करने वाला संगठन	कर्मचारियों की संख्या	अपराध के प्रशमन के लिए रकम (रुपये में)
इकाई (छोटी)	150 कर्मचारियों तक	पहली अनुसूची के पैरा 1 और 2 में ऐसे अपराधों के लिए किसी व्यष्टि के लिए प्रदान की गई रकम का 200 प्रतिशत, जैसा लागू हो
इकाई (मध्यम)	150 से अधिक और 300 कर्मचारियों तक	पहली अनुसूची के पैरा 1 और 2 में ऐसे अपराधों के लिए किसी व्यष्टि के लिए प्रदान की गई रकम का 300 प्रतिशत, जैसा लागू हो
इकाई (बड़ी)	300 से अधिक कर्मचारी	पहली अनुसूची के पैरा 1 और 2 में ऐसे अपराधों के लिए किसी व्यष्टि के लिए प्रदान की गई रकम का 400 प्रतिशत, जैसा लागू हो

निर्बचन:- (1) "व्यष्टि" से एक प्रकृत व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) "कर्मचारी" से संगठन द्वारा नियुक्त, नियोजित या काम में लगाया गया व्यष्टि है, चाहे वह संविदात्मक, अस्थायी या स्थायी हो।

**4. अपराधों के प्रशमन की प्रक्रिया।**

- (1) किसी अपराध के प्रशमन के लिए आवेदन, आवेदक द्वारा महानिदेशक या इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी भी अधिकारी को एक हजार रुपये की फीस के साथ "प्रारूप क" में निर्धारित तरीके से किया जाएगा, जैसा कि महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया गया है।
- (2) प्रशमन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसा अधिकारी और आवेदन में जमा किए गए और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर आवेदन की जांच करेगा।
- (3) ऐसा अधिकारी आवेदक से किसी भी जानकारी, अभिलेख या किसी अन्य दस्तावेज की मांग कर सकता है, यदि उसे प्रशमन कार्यवाही के लिए प्रासंगिक माना जाता है और यदि उल्लंघनकर्ता, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अतिरिक्त जानकारी या मांगे गए दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहता है, तो प्रशमन के लिए आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
- (4) ऐसा अधिकारी मामले के सभी संबंधितों को कार्यवाही में भाग लेने के लिए नोटिस जारी कर सकता है।
- (5) प्रशमन कार्यवाही के दौरान, ऐसा अधिकारी आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात, पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3 की सारणी के अनुसार अपराध के प्रशमन के लिए रकम का निर्धारण करेगा और जहां ऐसे अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय तथा इस प्रकार निर्धारित की गई रकम आवेदक को स्वीकार्य नहीं है तो आवेदक उसे लिखित रूप में अधिकारी को तीन दिनों के भीतर या ऐसे अधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।
- (6) आवेदक द्वारा इस उचित समय में ऐसे प्रस्तुतीकरण या जमा न करने के पश्चात, प्रशमन कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और मामले को अधिनियम के उपबंधों और इन नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा और अधिकारी ऐसी कार्यवाही के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (7) जिस रकम के लिए उल्लंघन को प्रशमन किया गया है, उसका भुगतान प्रशमन के निर्णय की तारीख के तीस दिनों के भीतर महानिदेशक द्वारा विविनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा।
- (8) यदि कोई व्यक्ति आदेश के तीस दिनों के भीतर प्रशमन के लिए रकम का भुगतान करने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी अपराध के प्रशमन के लिए आवेदन नहीं किया है।
- (9) अपराधों के प्रशमन की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी और यह आवेदन की तारीख से साठ दिनों से अधिक नहीं होगी तथा असाधारण परिस्थितियों में, महानिदेशक द्वारा साठ दिनों की इस अवधि को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से नब्बे दिनों तक बढ़ाया जा सकेगा है।

<b>प्रारूप 'क'</b> <b>(नियम 65)</b> <b>अपराध के प्रशमन के लिए आवेदन</b>		
1.	आवेदक (आवेदकों) के नाम	
2.	पता	
3.	ईमेल	
4.	फोन नंबर	
5.	प्राधिकरण, जिसके समक्ष मामला लंबित है	
6.	धारा या नियमों का उल्लंघन	
7.	मामले के संक्षिप्त तथ्य	

8.	मामले से संबंधित कोई अन्य जानकारी	
9.	आवेदक की प्रार्थना	
10.	फीस और संव्यवहार विवरण	
11.	संलग्नक, यदि कोई हो	

### सत्यापन

मैं \_\_\_\_\_, आवेदक, घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

### दूसरी अनुसूची

(नियम 66 )

### शास्तियां

(1) उल्लंघन की गंभीरता के स्तर और उसकी शास्तियों का वर्गीकरण: -

### सारणी 1

क्र.सं०	गंभीरता का स्तर (रूपए में)	व्यष्टि	संगठन (छोटा)	संगठन (मध्यम)	संगठन (बड़ा)
			150 कार्मिकों तक	150 से अधिक और 300 कार्मिकों तक	300 कार्मिकों से अधिक
1.	स्तर -1	दस हज़ार	पचास हज़ार	एक लाख	पाँच लाख
2.	स्तर -2	पंद्रह हज़ार	एक लाख	पाँच लाख	दस लाख
3.	स्तर -3	पच्चीस हज़ार	दस लाख	बीस लाख	तीस लाख
4.	स्तर -4	पचास हज़ार	बीस लाख	तीस लाख	पचास लाख
5.	स्तर-5	पचहत्तर हज़ार	तीस लाख	पचास लाख	पचहत्तर लाख
6.	स्तर-6	एक लाख	पचास लाख	पचहत्तर लाख	एक करोड़

निर्वचन: - (1) "व्यष्टि" से प्रकृत व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) "संगठन" से सामाजिक निकाय अथवा व्यष्टियों का संघ है, चाहे वह रजिष्ट्रीकृत हो या नहीं।

(3) "कर्मचारी" से कोई भी व्यष्टि जिसे संगठन द्वारा संविदात्मक, अस्थायी या स्थायी रूप से नियुक्त, कार्यरत या काम में लगाया गया हो।

2. यथास्थिति, पदाभिहित अधिकारियों या अपीलीय अधिकारी द्वारा दंड के रकम के निर्धारण हेतु नियम (नियमों) का उल्लंघन एवं उसकी गंभीरता का स्तर।

## सारणी 2

क्र.सं.	उल्लंघन या अननुपालन की प्रकृति	सुसंगत नियम	उल्लंघन/ अतिक्रमण/ अननुपालन की गंभीरता का स्तर
1.	विमानपत्तन सुरक्षा समिति का गठन न करना	नियम 5 का उपनियम (1)	स्तर-1
2.	महानिदेशक के अनुमोदन के बिना सुरक्षा कार्यक्रम का संशोधन करना	नियम 10 उपनियम (3)	स्तर-3
3.	इकाईयों द्वारा सुरक्षा कार्यक्रम का पुनर्विलोकन न करना	नियम 13 का उपनियम (2)	स्तर-1
4.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति न करना	नियम 14	स्तर-2
5.	हवाईअड्डा परिधि के संबंध में नियम 17 उल्लंघन	नियम 17	स्तर- 2
6.	हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रकाश व्यवस्था, गश्ती करने के लिए सड़क और प्रेक्षण पद के उपबंध के संबंध में नियम 18 उल्लंघन	नियम 18	स्तर-2
7.	हवाईअड्डा प्रचालक के स्वामित्व वाली सुविधाओं के संरक्षण के संबंध में नियम 19 उल्लंघन	नियम 19	स्तर-2
8.	अज्ञात माल या संदिग्ध वस्तु को संभालने के संबंध में नियम 20 उल्लंघन	नियम 20	स्तर-2
9.	विमानन सुरक्षा समूह का अभिनियोजन तथा हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा उन्हें सहायता और सुविधा प्रदान करने के संबंध में नियम 6 के उपनियम (1) और उपनियम (4) का उल्लंघन	नियम 6 उपनियम (1) और उपनियम (4)	स्तर-2
10.	प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के अभिनियोजन के संबंध में नियम 9 के उपनियम (1) और उपनियम (3) का उल्लंघन	नियम 9 के उपनियम (1) और उपनियम (3)	स्तर-1
11.	हवाईअड्डे में प्रवेश के संबंध में नियम 22 के उपनियम (4) का उल्लंघन	नियम 22 के उपनियम (4)	स्तर-1
12.	यानों से संबंधित सुरक्षा उपायों का अननुपालन	नियम 23	स्तर-1
13.	कर्मचारियों की पृष्ठभूमि के निरीक्षण के संबंध में नियम 25 उल्लंघन	नियम 25	स्तर-1
14.	हवाईअड्डा प्रवेश परमिट तथा आगंतुक प्रवेश टिकट संबंधी प्रणाली के संरक्षण और अभिगम नियंत्रण के संबंध में नियम 24 के उपनियम (2) का उल्लंघन	नियम 24 का उपनियम (2)	स्तर-1

15.	हवाईअड्डा प्रवेश परमिट के प्रदर्शन के संबंध में अननुपालन	नियम 26 का उपनियम (1)	स्तर-1
16.	यान प्रवेश परमिट के प्रदर्शन के संबंध में अननुपालन	नियम 26 का उपनियम (2)	स्तर-1
17.	वायुयान प्रचालक द्वारा स्टॉप-लिस्ट के अनुरक्षण तथा उपलब्धता के संबंध में अननुपालन	नियम 28	स्तर-1
18.	वायुयान प्रचालक द्वारा आरोहण से पूर्व सुरक्षा जांच के संबंध में नियम 39 के उपनियम (3) का अननुपालन	नियम 32 के उपनियम (3)	स्तर-4
19.	कतिपय वस्तुओं को साथ ले जाने पर प्रतिबंध के संबंध में नियम 33 के उपनियम (2) का उल्लंघन	नियम 33 के उपनियम (2)	स्तर-5
20.	वायुयान प्रचालक द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों के अभिनियोजन के संबंध में नियम 34 का उल्लंघन	नियम 34	स्तर-2
21.	सुरक्षा जांच तथा वायुयान की तलाशी और उतरने वाले यात्रियों द्वारा छोड़ दी गई वस्तु को हटाने के संबंध में नियम 35 के उपनियम (1) और उपनियम (2) का अननुपालन	नियम 35 का उपनियम (1) और उपनियम (2)	स्तर-2
22.	वायुयान प्रचालक द्वारा वायुयान तक पहुँचने के नियंत्रण तथा गैर-प्रचालनिक वायुयान की सुरक्षा के संबंध में नियम 36 के उपनियम (1) और उपनियम (2) का अननुपालन	नियम 36 का उपनियम (1) और उपनियम (2)	स्तर-4
23.	कॉकपिट के द्वार तथा फ्लाइट-कू कम्पार्टमेंट के संरक्षण और पहुंच नियंत्रण का अननुपालन	नियम 37	स्तर-6
24.	होल्ड बैगेज के लिए सुरक्षा नियंत्रण का अननुपालन	नियम 39 का उपनियम (1)	स्तर-5
25.	होल्ड बैगेज की पहचान तथा मिलान का अननुपालन	नियम 39 का उपनियम(2)	स्तर-4
26.	ट्रांसफर बैगेज के लिए सुरक्षा उपायों का अननुपालन	नियम 39 का उपनियम(3)	स्तर-2
27.	वायुयान में कैदियों को ले जाने पर नियम 40 का उल्लंघन	नियम 40	स्तर-3
28.	कार्गो, डाक, खान-पान प्रदाय, खान-पान भंडार तथा अन्य भंडार को ले जाने पर नियम 41 का उल्लंघन	नियम 41	स्तर-2
29.	कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो तथा डाक के संबंध में नियम 43 के उपनियम (1) और उपनियम (2) का अननुपालन	नियम 43 का उपनियम (1) और उपनियम (2)	स्तर-2
30.	वायुयान प्रचालक द्वारा कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो तथा डाक के लिए सुरक्षा नियंत्रण के संबंध में नियम 44 के उपनियम (1) तथा उपनियम (2) का उल्लंघन	नियम 44 का उपनियम (1) तथा उपनियम (2)	स्तर-2

31.	कतिपय माल को ले जाने पर प्रतिबंध के संबंध में नियम 45 के उपनियम (1) और उपनियम (2) का उल्लंघन	नियम 45 का उपनियम (1) और उपनियम (2)	स्तर-5
32.	विनियमित एजेंट द्वारा कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो तथा डाक के लिए सुरक्षा नियंत्रण के संबंध में नियम 46 का उल्लंघन	नियम 46	स्तर-4
33.	वायुयान प्रचालक द्वारा खान-पान प्रदाय तथा भंडार की स्वीकृति के संबंध में नियम 47 का उल्लंघन	नियम 47	स्तर-2
34.	खान-पान प्रतिष्ठान की जिम्मेदारियों के संबंध में नियम 48 का उल्लंघन	नियम 48	स्तर-2
35.	सुरक्षा दुर्घटना या घटना की रिपोर्ट करने के संबंध में नियम 51 का उल्लंघन	नियम 51	स्तर-1
36.	नियम 53 के अधीन जांच अधिकारी की शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किए गए निदेशों का अननुपालन	नियम 53	स्तर-1
37.	महत्वपूर्ण सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों और डेटा की पहचान, जोखिम मूल्यांकन तथा संरक्षण के संबंध में नियम 49 का उपनियम (1) का उल्लंघन	49 का उपनियम (1)	स्तर-1
38.	महत्वपूर्ण तथा संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों और डेटा के लिए सुरक्षा उपायों के संबंध में नियम 49 के उपनियम (2) और उपनियम (3) का उल्लंघन	नियम 49 का उपनियम (2) और उपनियम (3)	स्तर-1
39.	साइबर हमले का पता लगाने तथा साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया योजना के संबंध में नियम 50 का उल्लंघन	नियम 50	स्तर-1
40.	संवेदनशील विमानन सुरक्षा जानकारी के संरक्षण के संबंध में नियम 54 का उल्लंघन	नियम 54	स्तर-1
41.	संवेदनशील विमानन सुरक्षा जानकारी के अनधिकृत प्रकटीकरण के संबंध में नियम 55 का उल्लंघन	नियम 55	स्तर-2
42.	मिथ्या कथनों, प्रविष्टियों या अनधिकृत पुनरुत्पादन के संबंध में नियम 56 का उल्लंघन	नियम 56	स्तर-1
43.	अभिलेखों के प्रतिधारण के संबंध में नियम 57 का उल्लंघन	नियम 57	स्तर-1
44.	सुरक्षा ऑडिट तथा सुरक्षा निरीक्षण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति तक जाने पर मनाही	नियम 58 का उपनियम (1)	स्तर-1
45.	सुरक्षा ऑडिट तथा सुरक्षा निरीक्षण के संबंध में नियम	नियम 58 का उपनियम (2)	स्तर-1

	58 के उपनियम (2) का उल्लंघन		
46.	इकाइयों द्वारा आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में नियम 58 का उपनियम (3) का उल्लंघन	नियम 58 का उपनियम (3)	स्तर-1
47.	कर्मचारियों के सुरक्षा प्रशिक्षण के संबंध में नियम 59 का उल्लंघन	नियम 59	स्तर-1
48.	स्क्रीनर के प्रमाणन तथा सक्षमता के संबंध में नियम 60 का उल्लंघन	नियम 60	स्तर-1
49.	सुरक्षा उपस्करों की स्थापना, प्रचालन तथा रखरखाव के संबंध में नियम 61 का उल्लंघन	नियम 61	स्तर-2
50.	नियम 62 के अधीन जारी निदेशों का अननुपालन	नियम 62	स्तर-6 तक। यदि किसी नियम में समान उल्लंघन के लिए पहले से ही शास्ति का उपबंध किया गया है, तो उस नियम के लिए यथाविनिर्दिष्ट शास्ति अभिभावी होगी।

### 3. अभिहित अधिकारियों द्वारा शास्ति के न्यायनिर्णयत के लिए प्रक्रिया:-

(1) अभिहित अधिकारी, इस बात का समाधान हो जाने पर, कि किसी व्यक्ति ने उपर्युक्त पैरा 2 के अधीन सारणी 2 में यथाविनिर्दिष्ट किसी भी नियम का उल्लंघन किया है, वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, लिखित आदेश द्वारा, क्रमशः पैरा 1 और पैरा 2 के अधीन सारणी 1 और सारणी 2 के अनुसार ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं, जिसमें उल्लंघन की प्रकृति, उल्लंघन किए गए नियमों के उपबंध तथा माँग नोटिस सहित ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के कारणों का उल्लेख हो।

(2) अभिहित अधिकारी किसी व्यक्ति के विरुद्ध शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्यवाही नहीं करेगा, जहाँ उसे यह सूचना प्राप्त हो कि यथास्थिति, अनापत्ति, परमिट, प्रमाणपत्र या अनुमोदन के निलंबन या रद्दकरण की कार्यवाही कार्रवाई के समान कारण पर किसी समान नियम का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 10ख के अनुसरण में आरंभ कर दी गई है।

(3) अभिहित अधिकारी द्वारा ऐसे माँग नोटिस के साथ पारित शास्ति आदेश की एक प्रति व्यक्ति की तामील को मान्यता-प्राप्त माध्यम द्वारा की जाएगी।

(4) उपपैरा (1) के अधीन जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति, अभिहित अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रति ऐसा व्यक्ति प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, महानिदेशक द्वारा यथावधारित रीति में एक हजार रुपए की फीस के साथ प्रारूप ख के माध्यम से अपील कर सकेगा।

(5) अपील अधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, अभिहित अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश की पुष्टि, उपांतरण या उसे अपास्त करने हेतु मौखिक आदेश पारित कर सकेगा।

(6) अपील अधिकारी द्वारा पारित अपील आदेश की प्रति अपीलार्थी तथा संबंधित अभिहित अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।



(7) अभिहित अधिकारी, अपील अधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, उस व्यक्ति को पुनरीक्षित मांग नोटिस जारी करने का आदेश प्रभावी करेगा, जिसके विरुद्ध आदेश में अधिरोपित शास्ति की रकम के लिए आदेश पारित किया गया है।

(8) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति, ऐसे व्यक्ति पर मांग नोटिस की तामील के तीस दिनों के भीतर महानिदेशक द्वारा यथाअवधारित रीति में ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त की जाएगी।

(9) यदि व्यक्ति जिस पर शास्ति अधिरोपित की जाती है मांग नोटिस में यथानियत समय के भीतर शास्ति की ऐसी रकम के संदाय में असफल रहता है, तब यथास्थिति किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र, प्राधिकार, परमिट या अनुमोदन के निलंबन या रद्दकरण के लिए कार्यवाही, इन नियमों के अधीन आरंभ की जाएगी।

<b>प्ररूप ख (नियम 66 देखें) अपील अधिकारी को अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप</b>		
1.	अपीलार्थी का नाम	
2.	पता	
3.	ईमेल पता	
4.	दूरभाष नं.	
5.	तारीख के साथ आदेश संख्या, ऐसे जिसके विरुद्ध अपील की गई है (आदेश की प्रति संलग्न की जाए)	
6.	अभिहित अधिकारी का नाम और पद जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है	
7.	नियमों का उल्लंघन जिसके लिए आदेश पारित किया गया था	
8.	आदेश का प्रवर्तनशील भाग	
9.	तारीख जिस को अपीलार्थी द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त की गई	
10.	30 दिनों की परिसीमा अवधि पूरी होने की तारीख	
11.	मामले के संक्षिप्त तथ्य	
12.	अपील के आधार	
13.	अपीलार्थी की प्रार्थना	
14.	फीस और संव्यवहार व्यौरे	

#### सत्यापन

मैं \_\_\_\_\_, अपीलार्थी, घोषित करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।

अपीलार्थी का नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

**MINISTRY OF CIVIL AVIATION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th. August, 2023

**G.S.R. 596(E).**—Whereas, the draft of Aircraft (Security) Rules, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public.

And Whereas, the proposed rules are to be issued in the light of Convention relating to the International Civil Aviation signed at Chicago on the 7<sup>th</sup> day of December, 1944;

And Whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 10<sup>th</sup> day of November, 2022;

And Whereas, the objections and suggestions on the said draft rules from the public have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 4, 5, sub-section (2) of sections 10, 10A, 10B, 12, 12A, 12B and read with Section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), and in supersession of the Aircraft (Security) Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby makes the following rules, namely: -----

**CHAPTER I****PRELIMINARY**

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Aircraft (Security) Rules, 2023.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
  - (a) “accompanied hold baggage” means baggage which is accepted for carriage in the hold of an aircraft and which is checked in by the passenger who is on board (hereinafter referred to as “hold baggage”);
  - (b) “Act” means the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934);
  - (c) “acts of unlawful interference” means acts or attempted acts such as to jeopardize the safety of civil aviation, including, but not limited to –
    - (i) unlawful seizure of aircraft;
    - (ii) destruction of an aircraft in service;
    - (iii) hostage-taking on board aircraft or on aerodromes;
    - (iv) forcible intrusion on board an aircraft, at an airport or on the premises of an aeronautical facility;
    - (v) introduction on board an aircraft or at an airport of a weapon or hazardous device or material intended for criminal purposes;
    - (vi) use of an aircraft in service for the purpose of causing death, serious bodily injury, or serious damage to property or the environment; and
    - (vii) communication of false information such as to jeopardize the safety of an aircraft in flight or on the ground, of passengers, crew, ground personnel or the general public, at an airport or on the premises of a civil aviation facility.
  - (d) “aerodrome entry permit” means the identity card, issued by the Director General or any person authorised by the Central Government as per guidelines issued by the Central Government and used for entry into an aerodrome or any part of an aerodrome;
  - (e) “aerodrome operator” means a person, organisation or enterprise responsible for operation and management of an aerodrome;
  - (f) “aircraft operator” means a person, organisation or enterprise engages in or offering to engage in an aircraft operation;
  - (g) “airside” means the movement area of an aerodrome, adjacent terrain and building or portions thereof, access to which is controlled;

- (h) “Annex 17” means Annex 17 to the Convention relating to International Civil Aviation signed at Chicago on the 7<sup>th</sup> day of December, 1944 as amended from time to time;
- (i) “aviation security” means a combination of measures, human and material resources intended to be used to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference;
- (j) “Aviation Security Group” means a unit of specialised Government agency authorised by the Director General to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference and for the protection of property at the aerodrome handling civil aviation;
- (k) “background check” means a check of person’s identity and previous experience, including any criminal history and any other relevant information, as part of the assessment of an individual’s suitability to implement a security control or for unescorted access to the aerodrome;
- (l) “business establishment” means such entities located in specified areas at an aerodrome, which are engaged in carrying out business activities or providing any service or both, for financial returns;
- (m) “cabin baggage” means a baggage intended for carriage in the cabin of an aircraft;
- (n) “cargo” means any property carried on an aircraft other than mail, stores and accompanied or mishandled baggage;
- (o) “catering stores” means all items, other than catering supplies, associated with passenger inflight services, for example newspapers, magazines, headphones, audio and video storage devices, pillows and blankets, and amenity kits;
- (p) “catering supplies” means food, beverages, other dry stores and associated equipment used on board an aircraft;
- (q) “certification” means a formal evaluation and confirmation by or on behalf of the Director General for aviation security that a person possesses the necessary competencies to perform assigned functions to an acceptable level as determined by the Director General;
- (r) “Convention” means the Convention related to International Civil Aviation signed at Chicago on the 7<sup>th</sup> day of December, 1944;
- (s) “Director General” means Director General of Bureau of Civil Aviation Security, appointed under section 4B of the Act, who shall also be appropriate authority for the requirements of Annex 17;
- (t) “entity” means a person or a group of persons or a company, including but not limited to an aerodrome operator, aircraft operator, ground handling agency, regulated agent, fuel farm, maintenance, repair and overhaul, catering establishment, business establishment, and any other category as may be included by the Central Government or an officer authorised on its behalf for such purposes, from time to time and has its direct or indirect place of business, provides any service, facility, carries out any commercial or financial activity, or any other legal transactions, at the airport or on the premises of a civil aviation facility;
- (u) “express cargo” means goods other than mail and accompanied or baggage involuntarily or inadvertently separated from passengers or crew which is required to be carried on priority basis by an aircraft operator;
- (v) “fuel farm” means an agency or company which stores and supplies aviation turbine fuel to the aircraft operator at any airport;
- (w) “ground handling agency” means an entity established for the purpose of providing ground handling services at an airport, and security cleared by the Director General;
- (x) “high-risk cargo or mail” means cargo or mail presented by an unknown entity or showing signs of tampering shall be considered high risk if, in addition, it meets one of the following criteria, namely: -
- (a) specific intelligence indicates that the cargo or mail poses a threat to civil aviation;
  - (b) the cargo or mail shows anomalies that give rise to suspicion; or
  - (c) the nature of the cargo or mail is such that baseline security measures alone are unlikely to detect prohibited items that could endanger the aircraft;
- (y) “in-flight security officer” means Government security personnel deployed on board an aircraft with the purpose of protecting that aircraft and its occupants against acts of unlawful interference;
- (z) “known consignor” means a consignor who originates a cargo or mail for its own account and whose procedures and establishment are approved by the Director General to allow the carriage of such cargo or mail on any aircraft;

- (za) “mail” means dispatches of correspondence and other objects tendered by and intended for delivery to designated postal operators to operate the postal service;
- (zb) “movement area” means that part of an aerodrome to be used for the take-off, landing, and taxiing of the aircraft, consisting of the maneuvering area and aprons;
- (zc) “National Civil Aviation Security Programme” means such written programme established by an officer authorised by Central Government to give effect to any Annex of the Convention with the prior approval of the Central Government to safeguard civil aviation operations against acts of unlawful interference;
- (zd) “person” includes an individual, a company, a firm, an association of person or a body of individual or any legal entity, whether incorporated or not, and a local authority;
- (ze) “Private Security Agency” means an agency licensed under the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) and whose security clearance has been issued by the Director General;
- (zf) “prohibited article” means an object which can be used to commit an act of unlawful interference and which has not been properly declared;
- (zg) “regulated agent” means an agent, freight forwarder or any other entity which conducts business with an aircraft operator and provides security controls that are accepted or required by the Director General in respect of cargo, or mails to be transported by air;
- (zh) “regular employee” means an individual appointed, employed or engaged on regular basis and paid directly by the employer;
- (zi) “Schedule” means the Schedules appended to these rules;
- (zj) “Scheduled air carrier” means an air carrier which has received an Air Operator Certificate (Scheduled or Scheduled Commuter Operator) from the Directorate General of Civil Aviation;
- (zk) “screening” means the application of technical or other means which are intended to identify or detect weapons, explosives or other dangerous devices, articles or substances which may be used to commit an act of unlawful interference with civil aviation;
- (zl) “security audit” means an in-depth compliance examination of all aspects of the implementation of the National Civil Aviation Security Programme;
- (zm) “security clearance” means status granted to a person or entity allowing them access to sensitive aviation security information, access to restricted areas or to become eligible to operate at airport or any facility related with civil aviation after successful completion of a background check;
- (zn) “security control” means the method by which the introduction of weapon, explosive or other dangerous device, article or substance, which may be used to commit an act of unlawful interference, can be prevented;
- (zo) “security hold area” means the area between passenger screening checkpoint and boarding gate, into which access is controlled and additional security measures are applied;
- (zp) “security incident” means security occurrence which results in death or grievous hurt to a person or major damage to the property or major disruption to the civil aviation operations, or any act of unlawful interference which is assessed as security incident by the concerned security-in-charge of the entity who received the report, or the Director General or any other officer authorised by him in that behalf.
- Explanation: - For the purposes of this clause, the expression “grievous hurt” shall have the same meaning as assigned to it in the Indian Penal Code (45 of 1860);
- (zq) “security inspection” means an announced or unannounced examination of the effectiveness of the implementation of specific security measures;
- (zr) “security investigation” means an inquiry into any act or attempted act of unlawful interference against civil aviation or any alleged or suspected instance of non-compliance with National Civil Aviation Security Programme or other legal requirements pertaining to civil aviation security;
- (zs) “security occurrence” means any act of unlawful interference, or a compliance-breach of the provisions of the Act, or these rules, or National Civil Aviation Security Programme or directions issued by the Director General under the provisions of these rules and includes the identification or observation of a vulnerability that may endanger the civil aviation security;
- (zt) “security programme” means written measures specified by the Director General to be undertaken and adopted by an entity to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference;

(zu) “security restricted area” means those areas of the airside of an aerodrome which are identified as risk areas where in addition to access control, other security controls are applied and includes but not limited to security hold area;

(zv) “stores (supplies)” means any goods intended for sale or use on an aircraft, including spare parts and other articles of equipment, whether or not for immediate fitting;

(zw) “security test” means a covert or overt trial of an aviation security measure which simulates an attempt to commit an unlawful act;

(zx) “sensitive aviation security information” means information which, if accessed by or disclosed to unauthorised persons, may create or may be used to exploit vulnerabilities or to commit an act of unlawful interference against civil aviation;

(zy) “specified” means the directions issued by the Director General;

(zz) “test object” means object approved by the Director General to test the efficacy of civil aviation security measures;

(zza) “terminal” means the building or group of buildings and includes arrival building, where screening of passenger, baggage, cargo and courier bag is done and boarding on aircraft and de-boarding takes place;

(zzb) “unidentified baggage” means baggage at an aerodrome with or without a baggage tag which is not picked up by or identified by a passenger or any other person;

(zzc) “vulnerable aerodrome area or point” means any facility on or connected with an aerodrome, which, if damaged or destroyed, would seriously impair the functioning of the aerodrome.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and rules made thereunder.

**3. Role and responsibilities of Director General** - (1) The Director General shall be responsible for carrying out regulatory and oversight functions in respect of matters relating to civil aviation security.

(2) Without prejudice to the generality of the fore-going power, the Director General may -

- (a) develop, implement, maintain and review the National Civil Aviation Security Programme consistent with the provisions of Annex 17 to the Convention to safeguard civil aviation operations against acts of unlawful interference and threat perception taking into account the safety, regularity and efficiency of flights;
- (b) make such orders as necessary to implement the National Civil Aviation Security Programme;
- (c) make provisions to respond immediately to meet any increased security threat;
- (d) coordinate activities between the departments, agencies and other government organisations, aerodrome and aircraft operators and other entities concerned with or responsible for the implementation of various aspects of the National Civil Aviation Security Programme;
- (e) develop, implement, maintain and review the National Civil Aviation Security Training Programme for personnel of all entities involved with or responsible for the implementation of various aspects of the National Civil Aviation Security Programme, which shall be designed to ensure the effectiveness of the said security programme;
- (f) make provisions to designate an authority at each aerodrome serving civil aviation who shall be responsible for coordinating the implementation of security controls;
- (g) develop, implement, maintain and review a National Civil Aviation Security Quality Control Programme to determine compliance with and validate the effectiveness of its National Civil Aviation Security Programme;
- (h) make provisions for security audit, inspection and test to be conducted on a regular basis, to verify compliance with the National Civil Aviation Security Programme and to provide for immediate and effective rectification of any deficiency;
- (i) carry out security risk assessment, and to develop guidelines and procedures to adjust relevant element of its National Civil Aviation Security Programme accordingly, based upon a threat assessment carried out by the national security agencies;
- (j) make provisions to carry out risk assessment for identified landside areas and to coordinate for establishing landside security measures;
- (k) frame guidelines for implementation of appropriate standards, practices, and procedures for

protection and preservation of critical civil aviation systems against cyber threats; and

- (l) issue directions and guidelines on any matter subsidiary or incidental to the matters referred to in this sub-rule.

**4. National Civil Aviation Security Committee** - (1) On and from the date of publication of these rules, the National Civil Aviation Security Committee constituted by the Central Government, vide Order AV.13024/58/77-A, dated 18<sup>th</sup> November, 1977 shall be continued as a Committee for the purposes of these rules.

(2) The Committee referred to in sub-rule (1) has been constituted with a view to coordinate security activities at the national level between the departments, agencies and other entities concerned with or responsible for the implementation of various aspects of the National Civil Aviation Security Programme.

(3) The Committee shall consist of the following Members, namely: -

- (a) Secretary, Ministry of Civil Aviation as Chairperson – *ex-officio*;
- (b) such other Members as may be determined by the Central Government; and
- (c) the Director General as Member-Secretary-cum-Convener, *ex-officio*.

**5. Airport Security Committee** - (1) All airport operators, whose security programme has been approved by the Director General, shall establish an Airport Security Committee in consonance with the National Civil Aviation Security Programme.

(2) The Airport Security Committee referred to in sub-rule (1) shall assist the airport operator in its responsibility for coordinating the implementation of security controls and procedures as specified in the aerodrome security programme.

## CHAPTER II

### AVIATION SECURITY SERVICE

**6. Aviation Security Group** - (1) Every aerodrome operator shall engage such number of personnel of government security agency as may be determined by the Central Government for performing security duties assigned to it under these rules.

(2) The personnel engaged under sub-rule (1) shall be designated as Aviation Security Group and one officer of such group as Chief Aerodrome Security Officer by such government security agency.

(3) The Aviation Security Group shall work under the general supervision and direction of the aerodrome-in-charge.

(4) The aerodrome operator shall provide such facility and support to the Aviation Security Group as may be approved by the Director General.

(5) In emergent situations, the Director General may order necessary changes in the deployment of Aviation Security Group.

**7. Duties of Chief Aerodrome Security Officer** - The Chief Aerodrome Security Officer shall perform the following duties, namely: -

- (a) safeguarding of passengers, crew, ground personnel and other aerodrome users, aircraft, aerodrome and related facilities including vulnerable areas or points from acts of unlawful interference;
- (b) enforcement of access control measures into the restricted area of the aerodrome;
- (c) security of perimeter;
- (d) screening of passengers and their cabin baggage;
- (e) screening of persons other than passengers together with items being carried by them into the airside;
- (f) screening of vehicles together with items contained within them, entering into the airside;
- (g) surveillance within and around aerodrome area;
- (h) enforcement of security measures including car parks, viewing gallery, aerodrome restaurant and areas close to movement area;
- (i) maintenance of order and discipline in the aerodrome premises;
- (j) supervise the movement of persons and vehicles in the security restricted areas;
- (k) liaison with local police and intelligence agencies; and
- (l) any other duty assigned by the Director General within the scope of authority under these rules.

- 8. Disembarkation of unruly passenger** - The Chief Aerodrome Security Officer or any other Officer of the Aviation Security Group authorised by him in this behalf shall, on a written request of the pilot-in-command, assist him in disembarking any person from the aircraft on grounds of risk to safety and security of the aircraft, passengers and the crew.
- 9. Private Security Agency** - (1) Every aerodrome operator shall engage such number of personnel of Private Security Agency as may be determined by the Central Government for performing security duties assigned to them.
- (2) The Private Security Agency shall work under the operational supervision and direction of the Chief Aerodrome Security Officer and under the administrative supervision of the Aerodrome Operator.
- (3) The Private Security Agency shall be trained as per standards determined by the Central Government and such standards shall, as far as practicable, be in conformity with the standards applicable to the Government personnel.

### CHAPTER III

#### SECURITY CLEARANCE AND SECURITY PROGRAMME

- 10. Security programme of aerodrome and aircraft operators** - (1) Aerodrome operator, aircraft operator, as the case may be, shall develop their respective security programme in consonance with the provisions of these rules and the National Civil Aviation Security Programme, and obtain approval of such programme by the Director General.
- (2) The approved security programme shall be implemented and maintained by respective operators.
- (3) Any amendment to such programme shall be made after the approval of the Director General.
- 11. Commencement of operations by aerodrome and aircraft operators** - (1) No aerodrome operator or aircraft operator shall commence operation at aerodrome without obtaining approval of security arrangements through security vetting and security programme, as applicable, from the Director General.
- Explanation.* - For the purposes of this rule, the expression “security vetting” means an evaluation of the present and future security arrangements including the identification of vulnerabilities which could be exploited to carry out an act of unlawful interference, and the recommendation of requirements or corrective actions as specified in the National Civil Aviation Security Programme with regard to any aerodrome, aircraft, place, person or object.
- (2) No entity shall commence operation at security restricted areas of an aerodrome without obtaining security clearance and approval of their security programme in accordance with provisions of the National Civil Aviation Security Programme, from the Director General, as applicable, unless exempted in writing by the Director General or the Central Government.
- 12. Power to suspend or cancel security clearance and security programme** - (1) The Director General, after giving the entity an opportunity of being heard, and for reasons to be recorded in writing, may suspend for a period not exceeding one year or cancel or impose conditions in respect of any security clearance granted or security programme approved under these rules, where he has any reasonable grounds to believe and considers such action necessary, in the interests of national security or civil aviation security or if the entity has contravened or failed to comply with any condition of security clearance or security programme or provision of these rules.
- (2) After conducting an enquiry by an officer authorised by the Director General, the suspension may be revoked or the security clearance or security programme may be cancelled.
- 13. Renewal or review of security clearance and security programme** - (1) Each entity shall apply for renewal of its approved security clearance and security programme in such form as specified by the Director General.
- (2) Each entity shall review its valid security programme periodically as specified by the Director General, and submit amendments or modifications, if any, for the approval of the Director General.
- 14. Appointment of Chief Security Officer** - Each entity shall appoint a person, designated as Chief Security Officer or Aviation Security Compliance Officer, as applicable, having requisite qualification, training and experience in aviation security and entrust him with the responsibilities, as specified by the Director General.

### CHAPTER IV

#### AVIATION SECURITY MEASURES

- 15. Operation of entities at aerodrome** - No aerodrome operator shall himself operate at the aerodrome or allow any entity or person to operate, provide services or facilities, at security restricted areas of an aerodrome without

obtaining security clearance and approval of security programme as applicable and specified by the Director General.

**16. Planning, design and lay-out of aerodrome** - (1) The planning, design and layout of the aerodrome shall be in accordance with the specifications provided in the National Civil Aviation Security Programme including -

- (a) security control applied to passenger, staff, baggage, cargo, courier, express parcel, mail, catering stores and supply, and any other item entering into the aerodrome;
- (b) a description of significant features affecting the security of the aerodrome, such as residential areas or any other structure or natural boundary;
- (c) protection and control of access to airside, security restricted area, facility and other vulnerable aerodrome area or points;
- (d) installation, operation and maintenance of security equipment; and
- (e) architectural and infrastructure related requirements.

(2) Every aerodrome operator shall establish security restricted area at aerodrome serving civil aviation, in accordance with the security risk assessment carried out by the Director General.

(3) Aerodrome operator shall make aerodrome design and facilities by integrating security requirements and provisions mentioned in the National Civil Aviation Security Programme.

(4) Each aerodrome operator shall undertake construction of aerodrome or construction of new facilities at aerodrome or part thereof or alteration to existing design and facilities, which have aviation security implications and ramifications, after obtaining the written approval from the Director General.

**17. Aerodrome perimeter** - Every aerodrome operator shall construct a perimeter wall of the height of 2.438 meter (8ft) with overhung fence of 0.457 meter (1.5 ft.) around the aerodrome:

Provided that the Director General, keeping in view the threat or any other reason, may, by order, modify the specification of the perimeter wall or fence.

**18. Provision of lighting, road for patrolling and observation post** - The aerodrome operator shall make the following security arrangements at the aerodrome, namely: -

- (a) lighting for perimeter and any other vulnerable area;
- (b) all-weather road along with the perimeter for patrolling by the security personnel; and
- (c) observation or command posts for the security personnel:

Provided that the Director General may, taking into consideration the risk assessments, make such order in writing as may be deemed appropriate for security arrangements.

*Explanation.* - For the purposes of rule 17 and this rule, the expression “perimeter” means physical structure like wall or fence constructed for peripheral protection of the airside of an aerodrome and other facilities related with civil aviation to prevent unauthorised access to these areas.

**19. Protection of facilities under aerodrome operator** - Every aerodrome operator shall identify, demarcate and protect all vulnerable areas or points and operations under him including technical and maintenance, power supplies, electrical sub-station, control towers and other building used by air traffic services and communication facilities.

**20. Handling of unidentified baggage or suspicious object** - The aerodrome operator shall -

- (a) construct and maintain a protected and isolated area for placing a suspect or unidentified baggage, cargo, vehicles or aircraft or any other suspicious object; and
- (b) take appropriate measures to assess, identify, get it investigated and disposed off.

**21. Contingency Plan** - (1) The aerodrome operator shall, with the approval of the Director General, develop, implement and maintain contingency plans and provisions for additional security measures in case of security alert to deal with acts of unlawful interference;

(2) The plans referred to in sub-rule (1) shall be tested and reviewed at such regular intervals as specified by the Director General.

**22. Entry into aerodrome** - (1) The Central Government shall issue guidelines containing conditions for issuance and uses of aerodrome entry permit.

(2) No person shall enter or be allowed to enter in an aerodrome unless he -



- (a) is a bona-fide passenger;
- (b) has been issued with valid aerodrome entry permit;
- (c) has been issued with valid visitor admission ticket; or
- (d) permitted in writing by the Director General or Central Government.
- (3) No vehicle shall be permitted to enter into aerodrome or be allowed to remain in the airside unless such vehicle is -
- (a) issued with a valid vehicle entry permit; or
- (b) especially permitted in writing by the Director General.
- (4) Any person, vehicle, permitted to enter into aerodrome shall comply with the conditions of such permit at all times.
- 23. Security measures related with vehicles** - Each aerodrome operator shall ensure to establish provisions for applying screening or other appropriate security controls to vehicles being granted access to airside, together with items contained within them, as specified by the Director General.
- 24. Issue of aerodrome entry permit and vehicle entry permit** - (1) The aerodrome entry permit and vehicle entry permit shall be issued as per **such** procedure laid down by the Central Government.
- (2) The aerodrome operator shall ensure that unused visitor admission tickets are always kept secured, and areas and systems being used for issuing aerodrome entry permit and visitor admission tickets are secured by access control systems.
- 25. Background check of employees** - Each entity shall ensure that the initial and periodic background checks for each employee working at the airside or having access to sensitive aviation security information are carried out in accordance with the procedure determined by the Director General.
- 26. Display of aerodrome entry permit and vehicle entry permit** - (1) The aerodrome entry permit shall be displayed by the holder conspicuously above waist level at all times while on duty.
- (2) The holder of a vehicle entry permit shall display such permit, on the left side of the front windscreen of such vehicle, at all times when the vehicle is in the airside.
- (3) The aerodrome entry permit is not transferrable unless subject to such grounds, exempted by the Central Government.
- 27. Surrender of aerodrome entry permit and vehicle entry permit** - The aerodrome entry permit and vehicle entry permit shall be surrendered, as applicable, to the Director General or to any person authorised by the Central Government in this behalf, as per procedure determined by the Central Government.
- 28. Maintenance and availability of stop list** - The authorised issuing authorities of entry permits shall maintain a stop list and each aerodrome operator shall make it available, at all access points and security restricted areas, to Aviation Security Group and other relevant entities exercising access control, as per procedure determined by the Central Government.
- 29. Reserved right of admission** - Notwithstanding anything contained in this rule, the aerodrome operator or the Director General, may, if he is satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of security -
- (a) refuse admission to any person in the aerodrome; or
- (b) require any person to leave the aerodrome.
- 30. Prohibition to carry weapons or explosive** - No person shall enter aerodrome or the aircraft with any weapon, firearm, ammunition or explosive:
- Provided that the provisions of this sub-rule shall not be applicable to -
- (a) the Aviation Security Group, armed forces and police personnel required to carry their weapon, firearms or ammunition in connection with the performance of their duties;
- (b) bonafide passengers having valid permission from the concerned authority for carriage of arms and ammunition by air and for legitimate reasons; and
- (c) to such test objects which are authorised by the Director General, for the purpose of testing the efficacy of aviation security.
- 31. Entry into security restricted area and security hold area** - (1) No vehicle, person and baggage or item or supplies or stores or tools of trade carried by such person shall be allowed to enter into the security restricted area without applying security controls as per procedures determined by the Director General.

(2) Before granting access to security hold areas, the Aviation Security Group shall screen every person, baggage, belongings, supplies, stores, unless, subject to such conditions, exempted in writing by the Central Government.

**32. Security check before embarkation** - (1) Before embarkation, every originating passenger and transfer passenger boarding an aircraft and his cabin baggage, if any, shall be screened by an officer of the Aviation Security Group or an officer duly authorised in this behalf by the Director General.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall be applicable to the transit passengers only if they disembark from the aircraft:

Provided that the provisions of this rule shall not be applicable to such persons as may be specified by the Director General by a written order.

*Explanation.* - For the purposes of this sub-rule, the expression “transit passengers” means passengers departing on the same flight as that on which they arrived.

(3) Aviation Security Group and aircraft operator shall protect the passenger and their screened cabin baggage from unauthorised interference from the point of screening to boarding the aircraft.

**33. Prohibition on carriage of certain articles** - (1) The Director General may, by an order in writing, prohibit the carriage of certain articles on person or in baggage of passenger and crew member which, in his opinion, is likely to be used for committing acts of unlawful interference with civil aviation.

(2) Where prohibited articles are detected during screening, action shall be taken in accordance with the provisions of these rules or any other law for the time being in force.

**34. Deployment of security staff by aircraft operator** - An aircraft operator shall engage only those personnel for security duties who are regular employees, whose background checks have been successfully conducted initially and periodically thereafter, and who are employed after proper selection, appropriate training and certification as specified by the Director General:

Provided that an aircraft operator may enter into a contract with an Indian scheduled carrier or an aerodrome operator for performance of security functions and engage for such security functions, regular employees of the Indian scheduled carrier or the aerodrome operator, as the case may be, who meet the requirements specified in the rule.

**35. Security check or search of aircraft** - (1) Each aircraft operator shall carry out the check or search of his aircraft as specified by the Director General -

(a) before first departure of the day, only after all maintenance and cleaning staff have vacated and before embarkation of the passengers;

(b) between each flight before boarding of passengers after disembarkation; and

(c) as and when directed by him.

(2) Each aircraft operator operating to or from India shall ensure removal from the aircraft, any item left behind by passengers disembarking from flight and its disposal.

**36. Access control to aircraft** - (1) The aircraft operator shall control access to aircraft and maintain surveillance from the security search or check till the departure of the aircraft.

(2) The aircraft operator shall secure the non-operational aircraft by maintaining surveillance and keeping the following security measures, namely: -

(a) cabin doors closed;

(b) aerobridges and ventral stairs secured, withdrawn or retracted;

(c) tamper evident stick-on security seals on panels, compartments and doors; and

(d) any additional security measures determined by the Director General from time to time.

**37. Protection and access control of the cockpit door and flight-crew compartment** - Every aircraft operator shall, -

(a) ensure that cockpit doors of aircraft are locked during, all phases of flight, unless required to be opened for operational reasons;

(b) establish and maintain communication system between the flight crew and cabin crew during flight; and

(c) assign responsibility of access control of cockpit to pilot-in-command.

**38. Deployment of In-Flight Security Officer** - The aircraft operator shall-

- (a) carry such number of in-flight security officer on board a passenger aircraft, as the Director General may specify by an order in writing; and
- (b) declare to the pilot-in-command the number of in-flight security officers and their seat locations.

**39. Security control for hold baggage** – (1) The aircraft operator or the aerodrome operator, as the case may be, shall screen and protect hold baggage from unauthorised interference, from the point it is screened or accepted into the custody of the operator, as applicable, until departure of the aircraft on which it is to be carried, in such a manner as specified by the Director General.

(2) An aircraft operator shall carry out the identification and reconciliation of hold baggage in such manner as specified by the Director General by an order in writing.

(3) The aircraft operator shall ensure the screening of transfer hold baggage before loading into an aircraft:

Provided that the hold baggage screened at the point of origin and subsequently protected from unauthorized interference from the originating aerodrome to the departing aircraft at the transfer aerodrome, shall not be subjected to screening.

**40. Carriage of prisoners in aircraft** - The aircraft operator shall carry any prisoner, in such manner as specified by the Director General.

*Explanation-* For the purposes of this rule, the expression, “prisoner” means a person who is confined in any prison and includes a person who is arrested under any law for the time being in force.

**41. Carriage of cargo, mail, catering supplies, catering stores and other stores** - No aircraft operator shall accept on board any cargo, mail, catering supplies, catering stores and other stores and supplies unless appropriate security controls have been applied in such a manner as specified by the Director General.**42. Detention of aircraft** - The Director General or any other person authorised in this behalf by the Central Government may, for reasons to be recorded in writing, detain an aircraft if in his opinion, -

- (a) the aircraft has on board unauthorized arms, explosives or other sabotage devices which are likely to cause danger to the security of that aircraft;
- (b) the aircraft has on board a person who has gained entry in unauthorized manner or is likely to cause unlawful interference with civil aviation operation; or
- (c) the detention is necessary to secure compliance with any of the provisions of these rules.

**43. Cargo, express cargo and mail** - (1) Any cargo, express cargo, mail or courier bag intended to be carried on any aircraft, shall be subjected to appropriate security controls by regular employees of aircraft operator or regulated agent or known consignor, who are trained in accordance with the National Civil Aviation Security Training Programme.

(2) No cargo shall be loaded on to an aircraft without applying appropriate security controls including, but not limited to, X-ray screening and physical search:

Provided that the Director General may, by an order in writing and subject to such reasons as may be specified therein, exempt any cargo, express cargo or mail from the provisions of this rule.

**44. Security control for Cargo, express cargo and mail by aircraft operator** - (1) An aircraft operator accepting consignment from a regulated agent or known consignor for transportation on his aircraft shall, -

- (a) conduct inspection of such consignment as specified by the Director General;
- (b) ensure that additional security measures are applied to high-risk cargo or mail to mitigate the threat associated with it as specified by the Director General; and
- (c) ensure the safeguarding of such consignment against unlawful interference from the acceptance until it has been placed in the aircraft.

(2) An aircraft operator shall ensure, -

- (a) application of security controls on consignment to prevent acts of unlawful interference against civil aviation, which are accepted from a consignor or any authorised representative of the consignor, that is not a regulated agent or known consignor; and
- (b) that transfer cargo and mail are subjected to appropriate security controls prior to being loaded on aircraft as specified by the Director General.

- 45. Prohibition on carriage of certain goods** - (1) The Director General may, by an order in writing and subject to the reasons specified therein, prohibit the carriage of certain goods through cargo or courier bags or mail.
- (2) The consignment containing prohibited articles shall not be loaded on aircraft:
- Provided that the Director General may, by an order and subject to such conditions as may be specified therein, permit certain prohibited articles to be loaded on aircraft.
- 46. Security control for cargo, express cargo and mail by regulated agent** - (1) The aircraft operator may engage regulated agent for applying security control on cargo, courier and mail to be carried by air, who shall function as per the procedure determined by the Director General.
- (2) The regulated agent shall ensure, —
- the safeguarding of consignment against unlawful interference from the acceptance until such consignment has been handed over to the security staff of the aircraft operator or staff of the security service provider;
  - the security of his buildings, premises, transport facilities and cargo warehouses;
  - that all related security documents of consignment are maintained;
  - recruitment and training of security staff intended to apply security controls at regulated agent facility, as per such provisions determined by the Director General; and
  - that additional security controls have been applied to high-risk cargo or mail to mitigate the threat associated with it as specified by the Director General.
- 47. Acceptance of catering supplies and stores by aircraft operator** - An aircraft operator shall not accept any catering supplies and stores from catering establishment for transportation by aircraft, unless security programme of catering establishment is approved by the Director General.
- 48. Responsibilities of Catering Establishment** - Each Catering Establishment shall ensure, -
- the security of catering stores and supplies accepted at its facility through its regular employees; and
  - the security of its buildings, premises and transport facilities through its regular employees or by such agency which is approved by the Director General;
- 49. Identification, risk assessment and security measures for protection of critical information and communication technology systems and data** – (1) Each entity shall identify its critical information and communication technology systems and data used for civil aviation purposes and, in accordance with a risk assessment and National Civil Aviation Security Programme, shall develop and implement appropriate security measures to protect it from unauthorised access, modification and use.
- (2) Each entity shall entrust the responsibility for securing critical information and communication technology systems and data to properly selected, recruited and appropriately trained staff.
- (3) The qualifications and eligibility criteria of staff referred to in sub-rule (2) shall be such as may be determined by the entity in consultation with the Central Government.
- 50. Detection of cyber-attack and cyber security response plan** - Each entity shall develop and implement processes and procedures for detecting unauthorised access to their critical information and communication technology systems and data and also establish a cyber-security response plan, with such parameters as specified by the Director General.

## CHAPTER V

### SECURITY OCCURRENCE OR INCIDENTS

- 51. Reporting of security occurrence or incident** - Every entity shall report the security occurrence or security incident as specified by the Director General.
- 52. Security investigation of security occurrence or incident** - (1) The Director General may, by an order in writing, direct security investigation of any security occurrence or incident, reported to him or which comes to his notice, and appoint an officer not below the rank of Assistant Director as an Inquiry Officer.
- (2) The Inquiry Officer referred to in sub-rule (1) shall conduct the inquiry by affording an opportunity of being heard to all concerned and submit a Report in writing to the Director General.
- 53. Power of Inquiry Officer** - For the purpose of inquiry, an Inquiry Officer shall have power, -
- to require, by notice, the attendance of any person and entity;

- (b) to require any such person to make and to sign a declaration regarding the true nature of the statements made by him;
- (c) to cause the production of any required certificate, book, manual, record, list, notice, other document and article; and
- (d) to have access to and examine any aircraft or place.

## CHAPTER VI

### PROTECTION OF INFORMATION AND RECORDS

- 54. Protection of sensitive aviation security information** - All entities shall ensure that their security programme and other sensitive aviation security information and its contents are protected against unauthorised access, amendment and disclosure.
- 55. Unauthorised disclosure of sensitive aviation security information** - No person shall disclose any sensitive aviation security information, other than in such manner and to such person as specified by the Director General, which has been acquired by him for and during performance of his assigned duties unless such disclosure may be required under the Act, or these rules, or as may be required by the Central Government, or any officer authorised on its behalf, or process of law.
- 56. False statements, entries or unauthorised reproduction** - No person shall make or cause to be made, any of the following, namely: -
- (a) a fraudulent or intentionally false statement or alteration of any material information in any documents submitted to the Director General;
  - (b) a fraudulent or intentionally false entry or alteration of any material information in any record or report that is kept, made or used to show compliance of this rule;
  - (c) unauthorised reproduction or alteration or forgery of any report, record, document, security clearance, security programme, aerodrome entry permit, training certificates or any other permissions granted by the Director General or an officer authorised by the Director General.
- 57. Retention of Records** - Every entity shall retain the records of documents, data, or information in such manner and time as specified by the Director General.

## CHAPTER VII

### GENERAL

- 58. Security audit and security inspection** - (1) Any person, authorised by the Director General in writing may, at all reasonable times, enter any place or aircraft to which access is necessary to audit and inspect the facilities, services, equipment, documents and records for the purpose of compliance of National Civil Aviation Security Programme and with the provisions of these rules.
- (2) An entity shall, upon request from such authorised person, present records, data and all other information as requested.
- (3) Each entity shall develop, implement and maintain a written internal quality control programme, as applicable, in consonance with the National Civil Aviation Security Programme and the National Civil Aviation Security Quality Control Programme.
- 59. Security training of employees** - Each entity shall ensure that employees engaged by them, in security or non-security duties, are trained and qualified in initial and refresher training, as specified by the Director General in National Civil Aviation Security Training Programme.
- 60. Certification and competency of screener** - No entity shall deploy any employee for screening duties unless he is properly selected, appropriately trained and maintains required competencies through initial and refresher training in accordance with the National Civil Aviation Security Training Programme.
- 61. Installation, Operation and maintenance of security equipment** - (1) No entity shall install and operate any security equipment that does not meet the minimum specification criteria as determined by the Director General or the Central Government.
- (2) Each entity shall ensure that the security equipment deployed by them for aviation security purpose is maintained in operational condition.
- 62. Directions by Director General** - (1) The Director General may, in the interests of national security, issue such directions in written, consistent with the provisions of the Act and the rules made thereunder and such directions shall be binding on the persons to whom such directions are issued.

(2) The Director General may, by a general or special order in writing and subject to such conditions mentioned therein, exempt any aircraft or class of aircrafts or any person or class of persons from the operations of the directions issued under this rule, either wholly or partially.

- 63. General power to exempt** - The Central Government may, by a general or special order in writing and subject to such conditions mentioned therein, exempt any aircraft or class of aircrafts or any person or class of persons from the operations of the orders issued under these rules, either wholly or partially.

### CHAPTER VIII

#### APPEALS, COMPOUNDING OF OFFENCES AND PENALTY

- 64. Appeals** - (1) Any person, aggrieved by an order passed by an officer in exercise of the powers conferred on him by these rules, may prefer an appeal, to first appellate officer having jurisdiction in the matter and is next higher in rank to the officer who has passed such order, within a period of thirty days from the date on which the copy of the said order is received by him:

Provided that the appeal may be entertained even after expiry of the period of thirty days, if the appellant or applicant has shown a sufficient reason for not filing the appeal within that period.

(2) The appellate officer may after giving the parties to the appeal, an opportunity of being heard, pass such order as he deems fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in case of an order passed by the Director General, the appeal shall lie to the Secretary to the Government of India in the Ministry dealing with the Civil Aviation matters and no further appeal shall lie against such order of the said Secretary.

(4) An order issued under section 5A of the Act shall not be appealable under this rule.

- 65. Offences and Compounding** - (1) For the purposes of sub-section (2) of section 10 of the Act, the Central Government directs that any person, who has contravened any rule as specified in Table 1 of First Schedule of these rules, shall be liable with the penalty as specified in paragraph 1 of the First Schedule.

(2) Subject to the provisions of section 12A of the Act, offences punishable under sections 10, 11, 11A and section 12 of the said Act and rules as specified in First Schedule to these rules, may be compounded by the Director-General or any other officer specially empowered under sub-section (4) of section 4B of the said Act, in accordance with the procedure as laid down in the First Schedule.

- 66. Penalties** - (1) Any person, who has contravened any rule as specified in the Second Schedule of these rules, shall be liable for imposition of penalty to the extent as laid down in Second Schedule and in accordance with the provisions of section 10A of the Act.

(2) The penalty shall be adjudicated by the designated officers or the appellate officer, as the case may be, in accordance with the procedure as laid down in the Second Schedule.

[F. No. AV-13024/11/2022-AS]

SHRI PRAMOD KUMAR THAKUR, Dy. Director General

#### FIRST SCHEDULE

(See rule 65)

#### Punishment and Compounding of Offences

#### 1. Offences punishable under the Aircraft (Security) Rules, 2023 with imprisonment for a term not exceeding two years or with fine not exceeding one crore rupees, or with both and amount for compounding thereof:

Table I

Sl. No.	Subject matter of non-compliance	Relevant rule	Amount for compounding of offence committed by individual (in rupees)
1.	Non-compliance of rule 10 in respect of security programme of aerodrome and aircraft operators	sub-rules (1) and (2) of rule 10	Twenty-five lakh
2.	Non-compliance of rule 11(1) in respect of commencement of operations by aerodrome and aircraft operators	rule 11 (1)	Twenty-five lakh

3.	Non-compliance of rule 11 (2) in respect of security clearance and security programme of entities operating at aerodrome	rule 11(2)	Two lakh
4.	Non-compliance of rule 13 (1) in respect of renewal of security clearance and security programme by the entities before expiry of security clearance and security programme	rule 13(1)	one Lakh
5.	Non-compliance of rule 15 in respect of operation of entities at aerodrome without security clearance and security programme	rule 15	Two Lakh
6.	Non-compliance of rule 16 in respect of planning, design and layout of the aerodrome security	rule 16	Ten Lakh
7.	Non-compliance of rule 21 in respect of contingency plan by aerodrome operator	sub-rules (1) and (2) of rule 21	Two Lakh
8.	Non-compliance of the provisions of entry into aerodrome	sub-rules (2) and (3) of rule 22	Fifty thousand
9.	Contravention of rule 24(1) in respect of Issue of aerodrome entry permit and vehicle entry permit	rule 24(1)	One Lakh
10.	Non-compliance of the direction in respect of surrender of aerodrome entry permit and vehicle entry permit	rule 27	Ten thousand
11.	Contravention of rule 26(3) in respect of prohibition of transfer of aerodrome entry permit	rule 26(3)	Fifty thousand
12.	Non-compliance of the direction related with reserved right of admission under rule 29	rule 29	Fifty thousand
13.	Contravention of rule 30 in respect of prohibition to carry weapons or explosive	rule 30	Non - Compounding
14.	Contravention of the provision of entry into security restricted area	sub rule (1) of rule 31	Fifty thousand
15.	Contravention of provision in respect of entry into security hold area	sub rule (2) of rule 31	Fifty thousand
16.	Non-compliance of direction to carry deployed In-Flight Security Officer	rule 38	Non - Compounding
17.	Non-compliance of the direction issued under rule 42	rule 42	Non - Compounding

**2. Amount for compounding of offences punishable under sections 10, 11, 11A and section 12 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934):**

**Table II**

Sl. No.	Offence and relevant section	Amount for compounding of offence committed by individual (in rupees)
1.	Offence punishable under sub-section (1) of section 10 (except the offence related to carriage of arms and explosives)	Twenty-five Lakh
2.	Offence punishable under section 11	Twenty-five Lakh
3.	Offence punishable under section 11A	Twenty-five Lakh

4.	Offence punishable under section 12	Amount provided for such offences
----	-------------------------------------	-----------------------------------

**3. Where such offence has been committed by the organisation, the amount for compounding of offences shall be as under: -**

**Table III**

Contravention committed by	Number of employees	Amount for compounding of offence (in rupees)
Entity (small)	Up to 150 employees	200 per cent. of the amount as provided for such offences by the individual in paragraphs 1 and 2 of First Schedule, as applicable.
Entity (medium)	More than 150 and up to 300 employees	300 per cent. of the amount as provided for such offences by the individual in paragraphs 1 and 2 of First Schedule, as applicable.
Entity (large)	More than 300 employees	400 per cent. of the amount as provided for such offences by the individual in paragraphs 1 and 2 of First Schedule, as applicable.

Interpretation: (1) "Individual" means a natural person.

(2) "Employee" means an individual appointed, employed or engaged by the organisation whether contractual, temporary or permanent.

**4. Procedure for compounding of offences.**

(1) An application for compounding of an offence shall be made by the applicant to the Director-General or any officer specially empowered by the Central Government in this behalf in "Form A" along with the fee of one thousand rupees in such manner as determined by the Director-General.

(2) On receipt of the application for compounding, such officer shall examine the application based on the documents submitted and submissions made in the application.

(3) Such officer may call for any information, record or any other document from the applicant, if the same is considered relevant to the compounding proceedings and in case the contravener fails to submit the additional information or documents called for within the specified period, the application for compounding shall be liable for rejection.

(4) Such officer may issue notice to all the concerned of the case to participate in the proceedings.

(5) During the compounding proceedings, such officer shall, after giving an opportunity to the applicant of being heard, determine the amount for compounding of offence in accordance with the Tables of paragraphs 1, 2 and paragraph 3 and where the decision of such officer in respect the amount so determined is not acceptable to the applicant then the applicant shall submit the same in writing to such officer within three days or within such reasonable period as determined by such officer.

(6) After such submission by the applicant or non-submission within such reasonable time, the compounding proceedings shall cease and the matter shall be proceeded further in accordance with the provisions of the Act and these rules and the officer shall prepare a report in respect of these proceedings.

(7) The amount for which the contravention is compounded shall be paid in the manner as specified by the Director General within the thirty days of the date of decision of compounding.

(8) In case a person fails to pay the amount for compounding within thirty days of the order, he shall be deemed to have never made an application for compounding of any offence under the provisions of the Act and these rules.

(9) The process of compounding of offences shall be completed expeditiously and not later than sixty days from the date of application and this period of sixty days may be extended up to ninety days by the Director General, for reasons to be recorded in writing, in exceptional circumstances.



<b>FORM A</b> (See rule 65) <b>Application for compounding of Offence</b>		
1.	Name(s) of the applicant	
2.	Address	
3.	Email Address	
4.	Phone No.	
5.	The Authority before whom the case is pending	
6.	Contravention of sections or rules	
7.	Brief facts of the case	
8.	Any other information relevant to the case	
9.	Prayer of the applicant	
10.	Fee and transaction details	
11.	Attachment, if any	

**Verification**

I \_\_\_\_\_, the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Name and signature of the Applicant

Date:

Place:

**SECOND SCHEDULE**

(See rule 66)

**Penalties**

**(1) Classification of severity levels of contravention and penalties thereof: -**

**Table I**

Sl. No.	Severity level (in rupees)	Individual	Organisation (Small)	Organisation (Medium)	Organisation (Large)
			Up to 150 employees	More than 150 and up to 300 employees	More than 300 employees
1.	Level -1	Ten thousand	Fifty thousand	One Lakh	Five Lakh
2.	Level -2	Fifteen Thousand	One Lakh	Five Lakh	Ten Lakh
3.	Level -3	Twenty-Five Thousand	Ten Lakh	Twenty Lakh	Thirty Lakh
4.	Level -4	Fifty Thousand	Twenty Lakh	Thirty Lakh	Fifty Lakh
5.	Level -5	Seventy-Five Thousand	Thirty Lakh	Fifty Lakh	Seventy-Five Lakh
6.	Level -6	One Lakh	Fifty Lakh	Seventy-Five Lakh	One Crore

**Interpretation:** -(1) “Individual” means a natural person.

(2) “Organization” means a body corporate or an association of individuals whether registered or not.

(3) “Employee” means an individual appointed, employed or engaged by the organization whether contractual, temporary or permanent.

(2) Contravention of rule(s) and severity level thereof, for determination of penalty amount by the designated officers or the appellate officer, as the case may be.

**Table II**

Sl. No.	Nature of contravention or non-compliance	Relevant rules	Severity level of contravention or violation or non-compliance
1.	Non-setting up of the Airport Security Committee	sub-rule (1) of rule 5	Level –1
2.	Amending security programme without the approval of Director General	sub-rule (3) of rule 10	Level – 3
3.	Non-reviewing of security programme by the entities	sub-rule (2) of rule 13	Level –1
4.	Not appointing the Chief Security Officer	rule 14	Level –2
5.	Contravention of rule 17 in respect of aerodrome perimeter	rule 17	Level –2
6.	Contravention of rule 18 in respect of provision of lighting, road for patrolling and observation post by aerodrome operator	rule 18	Level –2
7.	Contravention of rule 19 in respect of protection of facilities owned by aerodrome operator	rule 19	Level –2
8.	Contravention of rule 20 in respect of handling of unidentified baggage or suspicious object	rule 20	Level –2
9.	Contravention of sub-rules (1) and (4) of rule 6 in respect of deployment of Aviation Security Group and providing support and facility to them by aerodrome operator	sub-rules (1) and (4) of rule 6	Level –2
10.	Contravention of sub-rules (1) and (3) of rule 9 in respect of deployment of Private Security Agency	sub-rules (1) and (3) of rule 9	Level -1
11.	Contravention of sub-rule (4) of rule 22 in respect of entry into aerodrome	sub-rule (4) of rule 22	Level –1
12.	Non-compliance of security measures related with vehicles	rule 23	Level –1
13.	Contravention of rule 25 in respect of background check of employees	rule 25	Level –1
14.	Contravention of sub rule (2) of rule 24 in respect of protection and access control of aerodrome entry permit and visitor admission ticket related system	sub rule (2) of rule 24	Level – 1

15.	Non-compliance in respect of display of aerodrome entry permit	sub rule (1) of rule 26	Level -1
16.	Non-compliance in respect of display of vehicle entry permit	sub rule (2) of rule 26	Level -1
17.	Non-compliance in respect of maintenance and availability of stop-list by aerodrome operator	rule 28	Level - 1
18.	Non-compliance of sub-rule (3) of rule 39 in respect of security check before embarkation by aircraft operator	Sub-rule (3) of rule 32	Level -4
19.	Contravention of sub-rule (2) of rule 33 in respect of prohibition on carriage of certain articles	sub-rule (2) of rule 33	Level -5
20.	Contravention of rule 34 in respect of deployment of security staff by aircraft operator	rule 34	Level - 2
21.	Non-compliance of sub-rules (1) and (2) of rule 35 in respect of security check and search of aircraft, and removal of item left behind by disembarking passengers	sub-rules (1) and (2) of rule 35	Level - 2
22.	Non-compliance of sub-rules (1) and (2) of rule 36 in respect of access control to aircraft by aircraft operator and securing of non-operational aircraft	sub-rules (1) and (2) of rule 36	Level - 4
23.	Non-compliance of protection and access control of the cockpit door and flight-crew compartment	rule 37	Level - 6
24.	Non-compliance of security control for hold baggage	sub-rule (1) of rule 39	Level - 5
25.	Non-compliance of identification and reconciliation of hold baggage	sub-rule (2) of rule 39	Level - 4
26.	Non-compliance of security measures for transfer baggage	sub-rule (3) of rule 39	Level - 2
27.	Contravention of rule 40 on carriage of prisoners in aircraft	rule 40	Level - 3
28.	Contravention of rule 41 on carriage of cargo, mail, catering supplies, catering stores and other stores	rule 41	Level - 2
29.	Non-compliance of sub-rules (1) and (2) of rule 43 in respect of cargo, express cargo and mail	sub-rules (1) and (2) of rule 43	Level - 2
30.	Contravention of sub-rules (1) and (2) of rule 44 in respect of security control for cargo, express cargo and mail by aircraft operator	sub-rules (1) and (2) of rule 44	Level - 2
31.	Contravention of sub-rules (1) and (2) of rule 45 in respect of prohibition on carriage of certain goods	sub-rules (1) and (2) of rule 45	Level -5
32.	Contravention of rule 46 in respect of security control for cargo, express cargo and mail by regulated agent	rule 46	Level - 4

33.	Contravention of rule 47 in respect of acceptance of catering supplies and stores by aircraft operator	rule 47	Level - 2
34.	Contravention of rule 48 in respect of responsibilities of catering establishment	rule 48	Level - 2
35.	Contravention of rule 51 in respect of reporting of security occurrence or incident	rule 51	Level - 1
36.	Non-compliance of the directions issued in exercising power of the Inquiry Officer under rule 53	rule 53	Level - 1
37.	Contravention of sub-rule (1) of rule 49 in respect of identification, risk assessment and protection of critical information and communication technology systems and data	sub-rule (1) of rule 49	Level - 1
38.	Contravention of sub-rules (2) and (3) of rule 49 in respect of security measures for critical information and communication technology systems and data	sub-rules (2) and (3) of rule 49	Level - 1
39.	Contravention of rule 50 in respect of detection of cyber-attack and cyber security response plan	rule 50	Level - 1
40.	Contravention of rule 54 in respect of protection of sensitive aviation security information	rule 54	Level - 1
41.	Contravention of rule 55 in respect of unauthorised disclosure of sensitive aviation security information	rule 55	Level - 2
42.	Contravention of rule 56 in respect of false statements, entries or unauthorized reproduction	rule 56	Level - 1
43.	Contravention of rule 57 in respect of retention of records	rule 57	Level - 1
44.	Denial of access to an authorized person for security audit and security inspection	sub-rule (1) of rule 58	Level - 1
45.	Contravention of sub-rule (2) of rule 58 in respect of security audit and security inspection	sub-rule (2) of rule 58	Level - 1
46.	Contravention of sub-rule (3) of rule 58 in respect of internal quality control by entities	sub-rule (3) of rule 58	Level - 1
47.	Contravention of rule 59 in respect of security training of employees	rule 59	Level - 1
48.	Contravention of rule 60 in respect of certification and competency of screener	rule 60	Level - 1
49.	Contravention of rule 61 in respect of installation, operation and maintenance of security equipment	rule 61	Level - 2
50.	Non-compliance with the directions issued under rule 62	rule 62	Up to level - 6. In case penalty has already been provided in any rule for

			the same contravention, then the penalty as specified for that rule shall prevail.
--	--	--	--

### 3. Procedure for adjudication of penalty by designated officers: —

(1) The designated officer upon his satisfaction that a person has contravened any of the rule as specified in the Table II under paragraph 2 above, he may, after giving a reasonable opportunity of being heard to such person, by an order in writing, impose penalty in accordance with Tables I and II under paragraphs 1 and 2 respectively, upon such person, stating the nature of contravention, the provision of rules which have been contravened and the reasons for imposing such penalty along with the demand notice.

(2) The designated officer shall not proceed for imposition of penalty against a person, where it comes to his notice that the proceeding for suspension or cancellation of clearance, permit, certificate or approval as the case may be, has been initiated in pursuance of the section 10B of the Act for contravention of same rule on same cause of action.

(3) A copy of penalty order passed along with the demand notice by the designated officer shall be served upon such person by a recognized mode of service.

(4) The person aggrieved by the order issued under sub-paragraph (1), may prefer an appeal in the Form B along with the fee of one thousand rupees in the manner as determined by the Director General, within thirty days from the date on which the copy of order issued by the designated officer is received by such person.

(5) The appellate officer shall, after giving an opportunity of being heard to the appellant, pass a speaking order, confirming, modifying or setting aside the order issued by the designated officer.

(6) The copy of appellate order passed by appellate officer shall be provided to the appellant and the concerned designated officer.

(7) The designated officer, within thirty days from the date of the receipt of such order passed by the appellate officer, shall grant the effect to the order by issuing a revised demand notice to the person against whom the order has been passed for the amount of penalty imposed in the order.

(8) The penalty thus imposed shall be paid by such person in the manner as determined by the Director-General within thirty days of the service of demand notice upon the person.

(9) In case the person on whom the penalty is imposed fails to pay such amount of penalty within the time as stipulated in demand notice, then, the proceeding for cancellation or suspension of any license, certificate, authorization, permit or approval, as the case may be initiated under these rules.

<b>FORM B</b> (See rule 66) <b>Form of appeal to the appellate officer</b>		
1.	Name(s) of Appellant	
2.	Address	
3.	Email address	
4.	Phone No.	
5.	Order No. with date, against which the appeal is preferred (Copy of the order to be enclosed)	
6.	Name and post of the designated officer by whom the order is passed	
7.	Contravention of rules for which order was passed	

8.	Operative part of order	
9.	Date on which the copy of order received by the appellant	
10.	Date of completion of 30 days limitation period	
11.	Brief facts of the case	
12.	Grounds of appeal	
13.	Prayer of the appellant	
14.	Fee and transaction details	

#### Verification

I \_\_\_\_\_, the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Name and signature of the Appellant

Date:

Place: